भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

http://cagindia.org/states/rajasthan/2000

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण पर लागत	1.3	5
राजस्व की बकाया	1.4	6
निर्धारणों की बकाया	1.5	8
कर एवं कर-इतर प्राप्तियों की जालसाजी एवं अपवंचन	1.6	9
प्रतिदाय	1.7	10
आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा	1.8	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	12
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.10	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) की जन लेखा समिति द्वारा की गई परिचर्चा की स्थिति	1.11	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.12	15
अध्याय-2 बिक्री कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	16
भू-राजस्व की बकाया के रूप में बिक्री कर विभाग में बकाया की वसूली	2.2	17

	अनुच्छेद	पृष्ठ
लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना	2.3	25
कर से अधिक छूट प्रदान करना	2.4	27
केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत गलत छूट प्रदान करना	2.5	29
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.6	30
क्रय कर आरोपित नहीं करना	2.7	30
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.8	31
कर से गलत छूट प्रदान करना	2.9	32
मामले के कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि	2.10	34
ब्याज का कम आरोपण	2.11	35
कर योग्य व्यापारावर्त का गलत निर्धारण	2.12	35
एच डी पी ई वस्त्रों पर गलत छूट प्रदान करना	2.13	36
अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर का कम आरोपण	2.14	37
कार्य संविदा पर कर का कम आरोपण	2.15	38

अध्याय-3
मोटर वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	39
शास्ति/प्रशमन राशि की अवसूली/कम वसूली	3.2	40
मोटर वाहन कर/विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.3	41
एक बारीय कर की अवसूली	3.4	42
मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.5	43
संविदा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.6	45
निजी सेवा वाहनों के सम्बन्ध में कर की अवसूली	3.7	45
बकाया आपराधिक चालानों का न्यायालय में प्रस्तुत न करना	3.8	46
व्यापारिक प्रमाण-पत्रों पर कर/शुल्क की अवसूली	3.9	47

	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय-4
भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	48
कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन रूपान्तरण एवं नियमितिकरण	4.2	49
जल प्रभारों की अवसूली	4.3	62
भूमि की कीमत की कम वसूली	4.4	62
ब्याज की मांग कायम नहीं करना	4.5	63

अध्याय-5
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	65
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.2	65
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.3	68
प्रतिबन्धित हस्तान्तरण विलेख पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली के कारण राजस्व की हानि	5.4	69

अध्याय-6
राज्य उत्पाद शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	70
राजकीय राजस्व आस्थगित किये जाने के कारण अवसूली	6.2	70
अनुज्ञा शुल्क एवं बोतल भराई शुल्क की अवसूली/कम वसूली	6.3	71
अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली	6.4	72

	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय-7
अन्य कर प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	73
पट्टा इकरारनामे का पंजीयन नहीं कराने के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि	7.2	73
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण	7.3	74
गलत आधार वर्ष के कारण कर का कम आरोपण	7.4	76

अध्याय-8
कर-इतर प्राप्तियां

अ: खनन विभाग

लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	77
खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ	8.2	78

ब: सिंचाई विभाग

जल प्रभारों की कम वसूली	8.3	88

प्रस्तावना

31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है । इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों, जिसमें बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ शामिल हैं, की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 1999-2000 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 3 समीक्षाओं सहित कर के अनारोपण, कम आरोपण, ब्याज, शास्ति इत्यादि से सम्बन्धित 37 अनुच्छेद हैं जिनमें 293.24 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं जो 1999-2000 की राजस्व प्राप्तियों का 4.80 प्रतिशत है। सरकार ने 24.44 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की जिसमें से वर्ष 1999-2000 के दौरान 5.51 करोड़ रुपये की वसूली की। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

1. सामान्य

वर्ष 1998-99 में 8579.28 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के मुकाबले वर्ष 1999-2000 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 9789.61 करोड़ रुपये थीं । जबकि सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 6104.67 करोड़ रुपये था (कर राजस्व: 4530.90 करोड़ रुपये एवं कर-इतर राजस्व: 1573.77 करोड़ रुपये) शेष राजस्व (3684.94 करोड़ रुपये) भारत सरकार से वर्ष 1999-2000 के दौरान संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (2184.84 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (1500.10 करोड़ रुपये) के रूप में प्राप्त हुआ। कर राजस्व का प्रधान भाग बिक्री कर (2424.52 करोड़ रुपये) एवं राज्य उत्पाद शुल्क (960.81 करोड़ रुपये), जबकि कर-इतर राजस्व में प्रमुख योगदान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (349.53 करोड़ रुपये) एवं ब्याज प्राप्तियों (670.42 करोड़ रुपये) का रहा ।

(अनुच्छेद 1.1)

1999-2000 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत कुल 1391.24 करोड़ रुपये की बकाया की वसूली नहीं हुई । ये बकाया मुख्य रूप से बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों तथा कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर तथा ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियों से सम्बन्धित थे ।

(अनुच्छेद 1.4)

मार्च 2000 के अन्त में 3,02,207 निर्धारण अंतिम रूप दिये जाने हेतु लम्बित थे जिसमें से 2,36,669 केवल बिक्री कर से सम्बन्धित थे ।

(अनुच्छेद 1.5)

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की 1999-2000 के

दौरान की गई मापक जांच से 20,967 मामलों में 640.36 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिधारण/कम आरोपण का पता चला। सम्बन्धित विभागों में 3,703 मामलों में 24.44 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिनमें 5.94 करोड़ रुपये वर्ष 1999-2000 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त विभागों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 1673 मामलों में 5.51 करोड़ रुपये वसूल किये गये।

(अनुच्छेद 1.9)

30 जून 2000 को दिसम्बर 1999 तक जारी किये गये 3140 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 427.54 करोड़ रुपये की 8468 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निहित थी, सम्बन्धित विभागों की टिप्पणियों/अन्तिम कार्यवाही के अभाव में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.10)

2. बिक्री कर

'भू-राजस्व की बकाया के रूप में बिक्री कर विभाग में बकाया की वसूली' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुए:-

- 18 मामलों में 5 से 108 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद, 182.63 लाख रुपये के लिये बिक्री कर वसूली-I (एस टी आर-I)/राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 2.2.6(i)}

- 30 मामलों में, जिनमें 233.62 लाख रुपये का राजस्व अन्तर्निहित था, मांग पत्र तथा कुर्की वाररण्ट जारी नहीं किये गये तथा 4 मामलों में, जिनमें 146. 82 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, मांग पत्र/ कुर्की वारण्ट तामील नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 2.2.7(सी)}

- 24 मामलों में 796.30 लाख रुपये मूल्य की कुर्क सम्पत्ति का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.8)

- 6 मामलों में 687.87 लाख रुपये की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निजी कम्पनियों के निर्देशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.10)

- 3 मामलों में, 21 से 27 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद 55.32 लाख रुपये की वसूली हेतु जमानतियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.11)

31 लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 744.41 लाख रुपये के कर से अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.3)

16 मामलों में, सीमेण्ट, मार्बल टाईल्स एवं लूब्रीकेटींग आयल के विक्रय पर 128.66 लाख के कर से अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.4)

जूतों के विक्रय पर गलत छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में कुल 243.28 लाख रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप 238.50 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.6)

6 मामलों में वनस्पति तेल पर कुल 147.90 लाख रुपये का क्रय कर एवं ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.7)

3. मोटर वाहनों पर कर

4 कम्पनी/निगमों के स्वामित्व के 46 डम्पर्स/भार वाहनों के सम्बन्ध में 83.44 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

[अनुच्छेद 3.3(i)(अ)]

46 मंजिली वाहनों से विशेष पथ कर के 27.89 लाख रुपये कीर राशि की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

38 संविदा वाहनों से विशेष पथ कर के 25.24 लाख रुपये की राशि अवसूली/ कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

4. भू-राजस्व

'कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन, रूपान्तरण एवं नियमितिकरण' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुए:-

- 8 स्थानीय निकायों द्वारा 4,25,98,389 वर्ग गज खातेदारी भूमि की अवाप्ति/ क्रय पर 6823.49 लाख रुपये के रूपान्तरण शुल्क की अवसूली के कारण राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.2.8)

- 19 कार्यालयों के, कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के 4846 मामले, जिनमें भूमि की कीमत, रूपान्तरण शुल्क, शास्ति एवं मुद्रांक कर के रूप में 2654.42 लाख रुपये का राजस्व अन्तर्निहित था, सम्पूरित नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 4.2.9(i)(अ)(i)}

- कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के 2556 मामलों में, जिनमें भूमि की कीमत के रूप में 385.94 लाख रुपये का राजस्व अन्तर्निहित था, ध्वस्त नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 4.2.9(i)(ब)}

- 7 तहसीलों में, 2,05,891.91 वर्ग गज की शासकीय कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर, सरकार विकास शुल्क, भूमि की कीमत एवं पट्टा किराया के रूप में 530.27 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी।

{अनुच्छेद 4.2.9(iii)(ब)}

- 8 तहसीलों में, आद्योगिक प्रयोजन हेतु 3,73,504.69 वर्ग गज खातेदारी भूमि के सम्बन्ध मे 823.84 लाख रुपये के विकास शुल्क की कम वसूली/ अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.12)

- 2 तहसीलों में होटल प्रयोजन हेतु 2,05,693.50 वर्ग गज की कृषि भूमि के गलत आवंटन के कारण सरकार विकास शुल्क के रूप में 613.64 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 4.2.13)

- 8 तहसीलों में, प्रीमियम एवं पट्टा किराये की 311.53 लाख रुपये की मांगे न तो निर्धारित की गई ना ही कायम की गई।

(अनुच्छेद 4.2.14)

6. राज्य उत्पाद शुल्क

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा देय 2.34 करोड़ रुपये के आबकारी अधिभार को गलत रूप से आस्थगित किया।

(अनुच्छेद 6.2)

अनुज्ञा शुल्क एवं बोतल भराई शुल्क के 131.68 लाख रुपयों की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.3)

7. अन्य कर प्राप्तियाँ

भूमि एवं भवन कर

पट्टा इकरारनामे के पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप कुल 240.66 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 7.2)

6 मामलों में सम्पत्ति के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 35.51 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 7.3)

8. कर-इतर प्राप्तियाँ

अ: अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियाँ

'खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुए:-

- मांग कायम नहीं करने के कारण मै. जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड से अधिशुल्क के 280.36 लाख रुपये तथा उस पर 220.29 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

{अनुच्छेद 8.2.6(अ)(i)}

- निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद मांग कायम नहीं करने के कारण पट्टाधारियों से 64.47 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

{अनुच्छेद 8.2.6(अ)(ii)}

- मार्बल पर अधिशुल्क में अनाधिकृत छूट (सरकार द्वारा अनुमत अवधि के बाद) दिये जाने के परिणामस्वरूप 385.37 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 8.2.8)

- पट्टाधारियों से भूमि कर की राशि के 3105.70 लाख रुपये तथा उस पर 3998.58 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 8.2.9)

- निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों से अधिशुल्क के 120.95 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 8.2.10)

- मांग एवं संग्रहण पंजिका के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप 13.19 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

{अनुच्छेद 8.2.14(अ)}

ब: सिंचाई विभाग

दो मामलों में जल प्रभारों की राशि 455.80 लाख रुपये तथा उस पर 17.34 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 8.3)

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(i) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और इसके पूर्व के दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

		1997-98	1998-99	1999-2000
		(करोड़ रुपयों में)		
I.	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	3610.58	3939.34	4530.90
	(ख) कर-इतर राजस्व	1362.42	1353.39	1573.77
	योग	4973.00	5292.73	6104.67
II.	भारत सरकार से प्राप्तियां			
	(क) विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	1808.73	1964.28	2184.84
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	1622.49	1322.27	1500.10
	योग	3431.22	3286.55	3684.94
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां (I और II)	8404.22	8579.28	9789.61*
	III से **I** का प्रतिशत	59	62	62

* ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 1999-2000 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11 लघु शीर्षवार राजस्व का ब्यौरेवार लेखा देखें । वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद '0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्यों को दिया गया भाग' की राशि को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाकर विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है ।

(ii) राज्य द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व

वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत दो वर्षों के आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	1999-2000 में 1998-99 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
		(करोड़ रुपयों में)			
1.	बिक्री कर	1826.54	2058.67	2424.52	(+) 18
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	922.79	990.03	960.81	(-) 3
3.	वाहनों पर कर	347.20	364.36	455.48	(+) 25
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	312.27	344.36	376.77	(+) 9
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	88.96	91.87	193.67	(+) 111
6	भू-राजस्व	44.76	33.27	35.09	(+) 5
7.	अन्य कर	68.06	56.78	84.56	(+) 49
	योग	**3610.58**	**3939.34**	**4530.90**	**(+) 15**

वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्तियों में अन्तर के कारण, जो सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:

बिक्री कर: वृद्धि (18 प्रतिशत) 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लागू करने एवं माल के मूल्य एवं व्यापारावृत में सामान्य वृद्धि के कारण थी।

वाहनों पर कर: वृद्धि (25 प्रतिशत) (i) (अ) विशेष टोकन योजना (ब) पुराने विशेष पथ कर एवं चालानों के लिए निर्मुक्ति योजना लागू करने (ii) कर ढांचें को सुसंगत बनाने और (iii) प्रर्वतनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: वृद्धि (111 प्रतिशत) विद्युत कर की दर में 100 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी।

(iii) राज्य के कर-इतर राजस्व

वर्ष 1999-2000 के दौरान कर-इतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण पिछले दो वर्षों के मुख्य शीर्षक राजस्व के आंकड़ों के साथ नीचे दिया जा रहा है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	1999-2000 में 1998-99 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
		(करोड़ रुपयों में)			
1.	ब्याज प्राप्तियां	598.13	628.79	670.42	(+) 7
2.	अलोह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	292.90	304.25	349.53	(+) 15
3.	विविध सामान्य सेवाएं	116.10	64.50	138.78	(+) 115
4.	जलापूर्ती एवं सफाई	96.79	121.61	125.72	(+) 3
5.	अन्य	258.50	234.24	289.32	(+) 24
	योग	**1362.42**	**1353.39**	**1573.77**	**(+) 16**

विविध सामान्य सेवाओं को स्थापित करने वाले निजी मदों का विश्लेषण यह बतलाता है कि वर्ष 1998-99 के मुकाबले वर्ष 1999-2000 में राजस्व की वृद्धि (115 प्रतिशत) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार न मांगी गई जमाओं में एवं भूमि एवं भवन की बिक्री में वृद्धि के कारण रही :

	वास्तविक	
	1998-99	1999-2000
(अ) न मांगी गई जमा	रु. 6,60,44,491	रु. 8,36,62,505
(ब) भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	रु. 41,02,37,566	रु. 1,29,33,25,680

वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्तियों में अन्तर के कारण यद्यपि चाहे गये थे (जून 2000) परन्तु प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2000)।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 1999-2000 के लिए राजस्व के बजट अनुमानों और प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए हैं :-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के सन्दर्भ में अन्तर का प्रतिशत
		(करोड़ रुपयों में)			
कर राजस्व					
1.	बिक्री कर	2550.00	2424.52	(-) 125.48	(-) 5
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1025.00	960.81	(-) 64.19	(-) 6
3.	वाहनों पर कर	455.00	455.48	(+) 0.48	नगण्य
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	425.00	376.77	(-) 48.23	(-) 11
5.	भू-राजस्व	37.55	35.09	(-) 2.46	(-) 7
6.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	23.23	26.70	(+) 3.47	(+) 15
	योग	**4515.78**	**4279.37**	**(-) 236.41**	**(-) 5**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	354.50	349.53	(-) 4.97	(-) 1
2.	ब्याज प्राप्तियां	717.83	670.42	(-) 47.41	(-) 7
3.	विविध सामान्य सेवाएं	159.67	138.78	(-) 20.89	(-) 13
	योग	**1232.00**	**1158.73**	**(-) 73.27**	**(-) 6**

बिक्री कर: कमी (5 प्रतिशत) (i) राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल (ii) 26 जिले अकाल से प्रभावित होने तथा (iii) लक्ष्यों के अधिक निर्धारण के कारण थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: कमी (6 प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा एकाकी विशेषाधिकार राशि और अनुज्ञापत्र शुल्क की कमी को प्रतिभूति राशि में समायोजन करने की अनुमति प्रदान नहीं करने तथा कुछ समूहों के नवम्बर 1999 तक निपटान नहीं होने के कारण थी।

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर: वृद्धि (15 प्रतिशत) विभाग द्वारा बकाया देय राशि की वसूली के कारण थी।

1.3 संग्रहण पर लागत

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रमुख राजस्व मदों के अधीन सकल संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 1998-99 के लिए सकल संग्रहण पर सम्बद्ध व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 1998-99 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
			(करोड़ रुपयों में)			
1.	बिक्री कर	1997-98	1826.54	22.30	1.2	
		1998-99	2058.67	31.27	1.5	1.40
		1999-2000	2424.52	28.61	1.2	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क*	1997-98	837.42	13.29	1.6	
		1998-99	904.74	17.91	1.9	3.25
		1999-2000	832.51	17.57	2.1	
3.	वाहनों पर कर	1997-98	347.20	5.81	1.7	
		1998-99	364.36	7.49	2.0	3.22
		1999-2000	455.48	7.55	1.7	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1997-98	312.27	5.70	1.8	
		1998-99	344.36	10.03	2.9	5.45
		1999-2000	376.77	7.90	2.1	

*कुल संग्रहण एवं व्यय पर लागत का सही आंकलन करने के लिए सकल राजस्व प्राप्तियां एवं विभागीय सकल व्यय दोनों से ही घटाये गये हैं।

1.4 राजस्व की बकाया

31 मार्च 2000 को राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अधीन राजस्व की बकाया जैसा कि विभागों द्वारा सूचित की गई, निम्नानुसार थी:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया	पांच वर्षों से अधिक बकाया	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
		(करोड़ रुपयों में)		
1.	बिक्री कर	1097.37	सूचना प्रस्तुत नहीं हुई	1097.37 करोड़ रुपयों में से 246.04 करोड़ रुपये की मांगें सरकार एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 851.33 करोड़ रुपये की मांगे वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
2.	जलापूर्ति एवं सफाई ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	64.49	3.84	64.49 करोड़ रुपयों में से 0.45 करोड़ रुपये की मांगे न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा एवं 0.43 करोड़ रुपये सरकार द्वारा रोक दी गई। 1.56 करोड़ रुपयों की मांग राशि की अपलेखन की संभावना थी एवं 62.05 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
3.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	55.17	4.46	55.17 करोड़ रुपयों में से 18.16 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों द्वारा आवृत थी । 13.72 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा तथा 0.76 करोड़ रुपयों की मांगे सरकार द्वारा रोक दी गई। 1.60 करोड़ रुपयों की वसूली आवेदन पत्रों के संशोधन/संवीक्षा हेतु रोकी गई एवं 20.93 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	53.28	33.57	53.28 करोड़ रुपयों में से 4.27 करोड़ रुपये की मांगे उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 7.40 करोड़ रुपये के अपलेखन की सम्भावना थी एवं 41.61 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।

1.	2.	3.	4.	5.
5.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	37.70	1.36	37.70 करोड़ रुपयों में से 13.58 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थी। 14.55 करोड़ रुपयों की मांगे उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई एवं 0.16 करोड़ रुपये सरकार द्वारा रोक दी गई। 0.11 करोड़ रुपयों की मांगों के अपलेखन की सम्भावना थी, एवं 9.30 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
6.	भू-राजस्व	28.78	11.83	28.78 करोड़ रुपयों में से 15.77 करोड़ रुपये की राशि की मांगे सरकार द्वारा एवं 2.88 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 0.04 करोड़ रुपये की मांगों के अपलेखन की सम्भावना थी एवं 10.09 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
7.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	18.42	1.12	18.42 करोड़ रुपये में से 0.41 करोड़ रुपयें की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। शेष राशि की वसूली की स्थिति विभाग द्वारा प्रेषित नहीं की गई।
8.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	14.92	1.06	14.92 करोड़ रुपयों में से 2.03 करोड़ रुपये की मांगे वसूली प्रमाण-पत्रों में आवृत थी, 3 करोड़ रुपये की वसूली उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई एवं 0.10 करोड़ रुपये की वसूली सरकार द्वारा रोक दी गई थी। 0.50 करोड़ रुपये की मांग राशि व्यावहारियों के दिवालिया होने के कारण रुक गई तथा 9.29 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
9.	वाहनों पर कर	13.15	4.40	13.15 करोड़ रुपयों में से 1.55 करोड़ रुपयों की मांगे न्यायालय/सरकार द्वारा रोक दी गई और 11.60 करोड़ रुपये, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।

1.	2.	3.	4.	5.
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	7.96	1.01	7.96 करोड़ रुपयों में से 0.75 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक दी गई थी। 0.50 करोड़ रुपयों की मांग राशि के अपलेखन की संभावना थी और 6.71 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
	योग	1391.24	62.65	

1.5 निर्धारणों की बकाया

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के अन्त में विभिन्न करों से सम्बन्धित जिसमें प्रारम्भिक शेष, निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामले और अन्तिम रूप देने के लिये लम्बित अवधारण के मामलों का विवरण जैसा कि सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित किया गया है, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कालम 7 का 5 पर प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	बिक्री कर**	1997-98	2,01,962	1,76,443	3,78,405	1,92,523	1,85,882	49
		1998-99	1,85,882	1,96,255	3,82,137	1,90,279	1,91,858	50
		1999-2000	1,91,858	1,69,695	3,61,553	1,24,884	2,36,669	65
2.	मनोरंजन कर	1997-98	2,700	562	3,262	1,903	1,359	42
		1998-99	1,359	1,359	2,718	1,595	1,123	41
		1999-2000	1,123	1,276	2,399	1,275	1,124	47
3.	वाहनों पर कर एवं विशेष पथ कर	1997-98	16,351	22,137	38,488	38,217	271	0.7
		1998-99	271	1,075	1,346	1,346	शून्य	शून्य
		1999-2000	शून्य	1,509	1,509	1,509	शून्य	शून्य
4.	यात्रियों एवं माल पर कर	1997-98	90	शून्य	90	शून्य	90	100
		1998-99	90	शून्य	90	शून्य	90	100
		1999-2000	90	शून्य	90	शून्य	90	100
5.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1997-98	38,472	8,141	46,613	5,932	40,681	87
		1998-99	40,681	6,410	47,091	6,038	41,053	87
		1999-2000	41,053	7,193	48,246	7,533	40,713	84
6.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1997-98	6,742	4,326	11,068	4,648	6,420	58
		1998-99	6,420	2,738	9,158	2,347	6,811	74
		1999-2000	6,811	1,237	8,048	1,955	6,093	76

* यह आंकड़े मुख्य अभियन्ता, सिचाई, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर, सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल परियोजना, कोटा एवं सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर से सम्बन्धित हैं।

** बिक्री कर से संबंधित आंकडे अनन्तिम हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1997-98 1998-99 1999-2000	17,631 17,490 18,897	11,497 15,525 12,315	29,128 33,015 31,212	11,638 14,118 13,694	17,490 18,897 17,518	60 57 56
	योग	1997-98 1998-99 1999-2000	2,83,948 2,52,193 2,59,832	2,23,106 2,23,362 1,93,225	5,07,054 4,75,555 4,53,057	2,54,861 2,15,723 1,50,850	2,52,193 2,59,832 3,02,207	50 55 67

अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित 3,02,207 निर्धारणों में से 2,36,669 मामले केवल बिक्री कर से सम्बन्धित थे। लम्बित निर्धारणों की अधिकतम प्रतिशत्ता "यात्रियों एवं माल पर कर" एवं "कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर" के सम्बन्ध में क्रमश: 100 एवं 84 प्रतिशत रही। अन्तिम निर्णय हेतु निर्धारणों के बहुत ज्यादा इकटठे होने के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली में विलम्ब हुआ। "यात्रियों एवं माल पर कर" से सम्बद्ध लम्बित निर्धारणों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि इनसे सम्बन्धित अधिनियम, 1982 में समाप्त कर दिया था।

1.6 कर एवं कर-इतर प्राप्तियों में जालसाजी और अपवंचन

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष के प्रारंभ में बकाया जालसाजी और करों तथा शुल्कों के अपवंचन के मामले, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गए मामलों की संख्या ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण पूरा कर लिया गया था, वर्ष के दौरान कायम अतिरिक्त मांग (जिसमें शास्ति आदि शामिल है) तथा मार्च 2000 के अन्त तक अन्तिम रूप न दिए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 1999 को बकाया मामले	1999-2000 के दौरान पता लगाये गये मामले	निर्धारण/अन्वेषण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2000 को बकाया मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रुपयों में)	
1..	क. बिक्री कर ख. मनोरंजन कर	1477	7755	7657	2401.43	1575
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	5	1	4	5.81	2
3.	वन प्राप्तियाँ	3	–	–	–	3
4.	जलापूर्ति एवं सफाई ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	8	–	–	–	8
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1	1	–	–	2

1.7 प्रतिदाय

बिक्री कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व और भूमि एवं भवन कर के सम्बन्ध में प्राप्त और निपटारे प्रतिदाय दावों की संख्या (जिनमें राशि भी शामिल है) वर्ष 1999-2000 के दौरान और मार्च 2000 तक के अनुकूल आंकड़ों को जो दो वर्ष पूर्व के हैं, नीचे दिये गये हैं:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के दावे		वर्ष के दौरान प्राप्त दावे		वर्ष के दौरान निर्णित दावे		वर्ष के अन्त में बकाया दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	बिक्री कर	1997-98	76	53.54	2389	1868.76	2381	1809.68	84	112.62
		1998-99	84	112.62	3014	843.54	2839	795.13	259	161.03
		1999-2000	सूचना प्राप्त नहीं हुई							
2.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1997-98	614	21.65	747	67.36	778	67.35	583	21.66
		1998-99	583	21.66	1224	108.33	1216	108.51	593	21.48
		1999-2000	593	21.48	1524	155.98	851	92.19	1266	85.27
3.	भू-राजस्व	1997-98	59	3.40	123	15.66	110	15.36	72	3.70
		1998-99	72	3.70	95	9.82	109	9.86	58	3.66
		1999-2000	58	3.66	71	14.81	70	8.30	59	10.17
4.	भूमि एवं भवन कर	1997-98	1	0.37	29	1.04	22	1.03	8	0.38
		1998-99	8	0.38	15	0.58	17	0.55	6	0.41
		1999-2000	6	0.41	7	0.66	8	0.95	5	0.12
5.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	1997-98	-	-	6	1.20	6	1.20	-	-
		1998-99	-	-	2	0.73	2	0.73	-	-
		1999-2000	-	-	8	4.77	7	4.13	1	0.64

1.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य उत्पाद, खान एवं भू-विज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूमि एवं भवन कर, वन और उपनिवेशन, विभागों में पृथक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाएं हैं ।

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान विभिन्न विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा लेखापरीक्षा की जाने योग्य इकाइयों, वास्तव में लेखापरीक्षा की गई

इकाइयों और बिना लेखापरीक्षा रही इकाईयों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी हैं:-

वर्ष	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	बिना लेखापरीक्षा रही इकाइयों की संख्या	बिना लेखापरीक्षा रही इकाइयों का प्रतिशत
1997-98	3091	1467	1624	53
1998-99	2969	1310	1659	56
1999-2000	2780	1161	1619	58

विभाग ने बतलाया कि लेखापरीक्षा की गई इकाइयों में कमी का मुख्य कारण स्टाफ की कमी, पंचायत चुनाव तथा वर्ष 1999-2000 में हुई सरकारी कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल थी।

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, आपत्तियों के निपटारे और आन्तरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मांग कायमी का विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	उठाई गई आपत्तियां		आपत्तियों का निपटारा		मांग कायम की/ वसूली की गई	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1997-98	1011	10553	3422.91	3103	1.12	4106	978.89
1998-99	628	10377	2128.96	4716	20.81	4049	653.39
1999-2000	999	11138	6245.47	2001	375.14	2579	451.25

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निपटायी गई आपत्तियों की संख्या इन वर्षों में उठायी गई कुल आपत्तियों की संख्या का क्रमश: 29, 45 और 18 प्रतिशत थी ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को आन्तरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II द्वारा उठायी गई टिप्पणियों के निपटारे का कार्य भी सौंपा गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II द्वारा दिसम्बर 1999 तक जारी टिप्पणियों में से जून 2000 के अन्त तक 8468 टिप्पणियां (निहित धन 427.54 करोड़ रुपये) बकाया थी। सरकार द्वारा समस्त विभागों को समय समय पर निर्देश जारी करने के उपरान्त भी इनमें से 1732 टिप्पणियां (निहित धन 34.98 करोड़ रुपये) पांच वर्षों से अधिक पुरानी थी ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व और अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में 20967 मामलों में 640.36 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला । सम्बन्धित विभागों द्वारा अवनिर्धारण आदि के 3703 मामले निहित राशि 24.44 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये, जिनमें से 255 मामले निहित राशि 5.94 करोड़ रुपये वर्ष 1999-2000 की लेखापरीक्षा के दौरान और बाकी पूर्व वर्षों में बताये गये थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 1673 मामलों में 5.51 करोड़ रुपये की राशि विभागों द्वारा वसूल कर ली ।

इस प्रतिवेदन में 37 लेखापरीक्षा अनुच्छेद मय 3 समीक्षायें, निहित राशि 293.24 करोड़ रुपये, सम्मिलित किये गये हैं जो लेखापरीक्षा में आये प्रमुख मामलों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। सरकार/विभागों ने अब तक निहित राशि 19.47 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं । लेखापरीक्षा टिप्पणियों में निहित कुल वित्तीय प्रभाव 0.44 करोड़ रुपयों के ऐसे मामले थे जो सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किये गये थे लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों अथवा कानून से भिन्न पाये जाने के कारण उन पर सम्बन्धित अनुच्छेदों में उपयुक्त टिप्पणी कर दी गई है । शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1.10 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियां

(i) लेखापरीक्षा के दौरान करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली और प्रारम्भिक लेखों के रख रखाव में त्रुटियां जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किये जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताएं सरकार/विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों से महालेग्वाकार (लेखापरीक्षा) II द्वारा सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर प्रेषण होने के एक माह में भेज दिये जाने चाहिए ।

(ii) 31 दिसम्बर 1999 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो 30 जून 2000 तक विभागों से निस्तारण हेतु बाकी थे गत दो वर्षों के आंकड़ों सहित नीचे दिए गये हैं:-

		30 जून को		
		1998	**1999**	**2000**
1.	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2592	2934	3140
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7324	8309	8468
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	448.07	741.16	427.54

30 जून 2000 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	सर्व प्रथम वर्ष जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया गया
1.	वाणिज्यिक कर	732	2557	85.77	18	1986-87
2.	भू-राजस्व	723	1694	41.69	29	1984-85
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	737	1330	24.45	137	1990-91
4.	परिवहन	395	1091	45.39	11	1985-86
5.	वन	187	492	1.20	-	1982-83
6.	खान एवं भू-विभाग	169	558	205.74	12	1982-83
7.	अन्य विभाग (आबकारी, भूमि एंव भवन कर एवं विद्युत निरीक्षणालय)	197	746	23.30	6	1986-87
	योग	**3140**	**8468**	**427.54**	**213**	

उपरोक्त स्थिति सरकार के ध्यान में लायी गई (सितम्बर 2000)।

1.11 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) की जन लेखा समिति द्वारा की गई परिचर्चा की स्थिति

15 अक्टूबर 2000 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा जन लेखा समिति द्वारा परिचर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गई है:-

कर का नाम		1997-98	1998-99	योग
बिक्री कर	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	6	9	15
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	9	9
मोटर वाहनों पर कर	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	4	7	11
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	7	7
भू-राजस्व	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	3	2	5
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	2	2
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	4	3	7
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	3	3
राज्य उत्पाद शुल्क	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	8	8	16
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	8	8
भूमि एवं भवन कर	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	3	3	6
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	3	3
खनन	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	7	11	18
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-
अन्य	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	2	3	5
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	3	4
योग	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेद	37	46	83
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	35	36

वर्ष 1996-97 तक की प्रतिवेदनों से संबंधित लेखा परीक्षा अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया नहीं हैं।

1.12 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवृति कार्यवाही

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति की सिफारिशों पर क्रियान्विति संबंधित विभाग द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। विभागों से बकाया सिफारिशों पर क्रियान्विति की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:-

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	20 वां प्रतिवेदन 1990-91	24.3.91	मुद्रांक एवं पंजीयन	1978-79	4
2.	23 वां प्रतिवेदन 1990-91	25.3.91	आबकारी	1984-85 से 1987-88	5
3.	40 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	उद्योग	1977-78	1
4.	41 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	लॉटरी	1983-84	1
5.	45 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	खान	1977-78 से 1983-84	4
6.	57 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	मोटर गेराज	1977-78	1
7.	56 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	भू-राजस्व	1977-78 से 1980-81	19
8.	60 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	मुद्रांक एवं पंजीयन	1979-80 से 1983-84	2
9.	61 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	भू-राजस्व	1983-84	1
10.	62 वां प्रतिवेदन 1991-92	30.3.92	मुद्रांक एवं पंजीयन	1977-78 से 1978-79	3
11	63 वां प्रतिवेदन 1991-92	30.3.92	आबकारी	1976-77 से 1983-84	15
12.	10 वां प्रतिवेदन 1994-95	27.9.94	मुद्रांक एवं पंजीयन	1984-85 से 1987-88	9
13.	15 वां प्रतिवेदन 1994-95	27.9.94	भू-राजस्व	1976-77	8
14.	34 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	मुद्रांक एवं पंजीयन	1988-89 से 1989-90	3
15.	35 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	भू-राजस्व	1982-83	1
16.	36 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	खान	1990-91	2
17.	75 वां प्रतिवेदन 1996-97	12.7.96	खान	1984-85 से 1989-90	8
18.	102 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	सहकारिता	1984-85	2
19.	103 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	भू-राजस्व	1984-85 से 1988-89	5
20.	104 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	परिवहन	1988-89 से 1989-90	20
21.	119 वां प्रतिवेदन 1998-99	27.7.98	परिवहन	1994-95 से 1995-96	62
22.	120 वां प्रतिवेदन 1998-99	27.7.98	भू-राजस्व	1989-90	10
23.	7 वां प्रतिवेदन 1999-2000	08.4.99	भू-राजस्व	1990-91	20
24	31 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1991-92	5
25.	32 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1992-93	1
26.	34 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1994-95	1
27.	35 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1995-96	2
28.	36 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1996-97	1
29.	37 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	भू-राजस्व	1991-92	72
30.	38 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	भू-राजस्व	1992-93	8
31.	39 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1988-89	1
32.	41 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1990-91	1
33.	42 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1991-92	1
34.	44 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1993-94	4
	योग				**303**

बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि एक से नो वर्ष तक रही।

अध्याय-2: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 1518 मामलों में 12,274.01 लाख रुपयों के अवनिर्धारणों आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न वर्गों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	कर की गलत दर लगाने के कारण कम आरोपण	440	7231.46
2.	गलत छूट प्रदान करना	291	1972.09
3.	कटौती की गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	127	390.61
4.	कर योग्य व्यापारावर्त पर कर निर्धारण नहीं करना	90	108.97
5.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	328	68.67
6.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	55	24.88
7.	अन्य अनियमितताएं	186	331.88
8.	भू-राजस्व की बकाया के रूप में बिक्री कर विभाग में बकाया की वसूली	1	2145.45
योग		1518	12274.01

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 405 मामले जिनमें 617.19 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 24 मामले जिनमें 9.96 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, वर्ष 1999-2000 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे, जिसमें से 17 मामलों में 1.23 लाख रुपयों की वसूली की जा चुकी थी। कुछ निदर्शी मामले एवं 'भू-राजस्व की बकाया के रूप में बिक्री कर विभाग में बकाया की वसूली' पर समीक्षा के निष्कर्षों जिनमें 3716.96 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

2.2 भू-राजस्व की बकाया के रूप में बिक्री कर विभाग में बकायों की वसूली

2.2.1 परिचय

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को निर्धारित समय के अन्दर, अपने व्यापारावर्त की नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत करनी होती है जिसके साथ कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में कोषालय की रसीद अथवा अधिकृत बैंक की रसीद संलग्न करनी होती है। तपश्चात, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले में कर निर्धारित किया जाकर कर की अतिरिक्त मांग राशि हेतु एक मांग पत्र जारी किया जाता है तथा मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि में कर राशि जमा करानी होती है इसमें असफल रहने पर कर निर्धारण अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी जिसका ऐसे व्यवसायी या व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार है ऐसे कर की वसूली हेतु, राज्य के भीतर के मामलों में बिक्री कर वसूली प्रपत्र (एस टी आर-I) के द्वारा या राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर आर सी) के द्वारा जैसा भी मामला हो, वसूली करने हेतु अधिकृत होगें।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890, में आर आर सी जारी करने के प्रावधान है जो सरकार को भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकायों की वसूली करने का अधिकार देते हैं। वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को वसूली करनी होती है, राजस्थान भू-राजस्व कोड, 1956 में दी गई है।

भू-राजस्व की बकाया की वसूली हेतु आरम्भिक नियंत्रण पद्धति में वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा भी, आर आर सी/एस टी आर-I के मामलों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु कुछ पंजिकाए एवं विवरणियां निर्धारित की गई है।

2.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वाणिज्यिक कर विभाग में भू-राजस्व की बकाया के रूप में, बकायों की वसूली की पद्धति एवं प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 108 कर निर्धारण वृत्तों में से 19* वृत्तों में वर्ष 1994-95 से 1998-99 के अभिलेखों की मापक जांच अप्रैल एवं जून 2000 के मध्य की गई।

---

* वा.क.अ. 'ए' अलवर, 'ब' अलवर, विशेष-अलवर, 'बी'-भरतपुर, भिवाड़ी, विशेष-बीकानेर, धौलपुर, 'सी' जयपुर, विशेष- I जयपुर, विशेष- III जयपुर, वक्र्स टैक्स- II, जयपुर, अपवंचन निरोधक-I जयपुर विशेष-II, जोधुपर, झुन्झुनु, 'ए'-कोटा, 'बी'-कोटा, अपवंचन निरोधक-I कोटा, विशेष-पाली एवं सिरोही।

2.2.3 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त (स.आ.), वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.)उनकी सहायता करते हैं। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, वे व्यवसाई के लेखों की जांच करते हैं, निर्धारणों को सम्पूरित करते हैं, कर की मांग कायम करते हैं और उनकी वसूली सुनिश्चित करते हैं।

भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकायों की वसूली हेतु जिलाधीश (राजस्व वसूली प्राधिकारी) की शक्तियाँ सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में निहित होती हैं

2.2.4 मुख्य-मुख्य बिन्दु

18 मामलों में 5 से 108 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद, 182.63 लाख रुपये के लिये एस टी आर-I/आर आर सी जारी नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 2.2.6(i)}

30 मामलों जिनमें 233.62 लाख रुपये का राजस्व अन्तर्निहित था, मांग पत्र तथा कुर्की वारण्ट जारी नहीं किये गये तथा 4 मामलों जिनमें 146.82 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, मांग पत्र/कुर्की वारण्ट तामील नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 2.2.7(सी)}

24 मामलों में 796.30 लाख रुपये मुल्य की कुर्क सम्पत्ति का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.8)

6 मामलों में 687.87 लाख रुपये की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निजी कम्पनियों के निर्देशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.10)

3 मामलों में 21 से 27 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद 55.32 लाख रुपये की वसूली हेतु जमानतियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.11)

2.2.5 राजस्व वसूली की प्रवृत्ति

19 कर निर्धारण वृत्तों में (1 अप्रैल को स्थिति) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें भू-राजस्व/राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, में बिक्री कर की बकाया मांगों एवं वसूली की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1 अप्रैल को एस टी आर-I/आर आर सी के द्वारा वसूली हेतु बकाया	479.41	532.58	604.19	1601.61	1975.45
मामलों की संख्या	(93)	(99)	(119)	(161)	(236)
राशि जिसके लिये वर्ष के दौरान आर आर सी/एस टी आर-I जारी किये गये	53.22	73.01	1002.92	383.71	989.67
मामलों की संख्या	(6)	(22)	(44)	(77)	(93)
वर्ष के दौरान की गई वसूलियाँ	0.05	1.40	5.50	9.87	23.29
मामलों की संख्या	-	(2)	(2)	(2)	(2)
वसूली की प्रतिशत	0.00	0.23	0.34	0.49	0.78
31 मार्च को आर आर सी/ एस टी आर-I की बकाया	532.58	604.19	1601.61	1975.45	2941.83
मामलों की संख्या	(99)	(119)	(161)	(236)	(327)

इन बकायों के अवधि अनुसार विश्लेषण न तो वाणिज्यिक कर आयुक्त के पास न ही कर निर्धारण वृत्तों में उपलब्ध थे। उपरोक्त आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि इन वर्षो के दौरान वसूली का प्रतिशत एक प्रतिशत से कम रहा तथा गत वर्षो में बकायों में पर्याप्त वृद्धि हुई।

2.2.6 एस टी आर-I/आर आर सी जारी नहीं करना/जारी करने में विलम्ब

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यवसायी उसके द्वारा देय कर अथवा अन्य कोई राशि मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर जमा कराने में असफल रहता है तो मांग पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एस टी आर-I/ आर आर सी जारी किया जाता है।

(i) 3 वृत्तों ('ए'-कोटा, विशेष- II जोधपुर एवं विशेष-बीकानेर) के मांग एवं संग्रहण पंजिका (मां.सं.पं.) तथा कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में पता चला कि 18 मामलों में जिनमें 182.63 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, वसूली हेतु मांग पत्र तो तामील करवाये गये थे (दिसम्बर 1990 एवं मार्च 1999 के मध्य), किन्तु 5 से 108 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद एस टी आर-I/आर आर सी जारी नहीं किये गये थे।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 2000) वा.क.अ. विशेष वृत्त, बीकानेर ने 11.27 लाख रुपये हेतु आर आर सी जारी की (मई 2000)। शेष मामलों में प्रगति प्रतीक्षित है (जून 2000)।

(ii) वा.क.अ. वृत्त-सिरोही के 2 मामलों में, यद्यपि मांग तो अगस्त 1993 एवं दिसम्बर 1993 में जारी कर दी गई थी किन्तु 1.66 लाख रुपये की आर आर सी 6 वर्ष पश्चात (दिसम्बर 1999) जारी की गई।

2.2.7 मांग पत्र (एस टी आर-II)/कुर्की वारण्ट (एस टी आर-III) जारी नहीं करना/तामील नहीं कराना

एस टी आर-I जारी करने के पश्चात, एक मांग पत्र एस टी आर-II e- जारी किया जाता है तथा ऐसे मामले जिसमें चूककर्त्ता द्वारा मांग पत्र में उल्लेखित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट (एस टी आर-III) तथा कुर्क सम्पत्ति की बिक्री हेतु घोषणा (एस टी आर-IV) वा.क.अ./स.वा.क.अ. द्वारा जारी किये जाते हैं।

(अ) एक मामले में जहाँ 8.34 लाख रुपये हेतु एस टी आर-I तो जारी कर दिया (दिसम्बर 1998) किन्तु मार्च 2000 तक एस टी आर-II में मांग पत्र जारी नहीं किया गया था। एक अन्य मामले में 5.52 लाख रुपये की वसूली हेतु यद्यपि एस टी आर-II दिसम्बर 1998 में ही तैयार कर लिया गया था किन्तु मार्च 2000 तक बिना तामील के पड़ा रहा।

(ब) 3 मामलों में जिनमें 138.48 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, यद्यपि एस टी आर-II तो दिसम्बर 1998 एवं जनवरी 1999 में जारी कर दिये गये थे किन्तु सम्पत्ति की कुर्की हेतु वारण्ट (एस टी आर-III) अब तक जारी नहीं किये गये।

(स) 30 मामलों में 233.62 लाख रुपये की वसूली हेतु सम्पत्तियों की कुर्की हेतु वारण्ट फरवरी 1997 एवं जुलाई 1999 में जारी करने के बावजूद बिना तामील कराये पड़े रहे तथा इन पर वारण्टों को तामील नहीं कराने हेतु किसी कारण/ औचित्य को अभिलिखित किये बिना इन वारण्टों में दर्शायी गई समय सीमा

बार-बार बढ़ा दी गई थी। 5 प्रमुख मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वाणिज्य कर अधिकारी का नाम	चूककर्ता का नाम	राशि (लाख रुपयों में)	वारण्ट जारी करने की दिनांक	विस्तारणों की संख्या
स.आ.-'बी' वृत्त-अलवर.	मै.आदर्श फेब्रिकेटरस, अलवर	17.14	28.02.98	2
वा.क.अ. 'जी' वृत्त-जयपुर	मै.सुम्बी रबड़, जयपुर	14.54	10.11.98	4
वा.क.अ. 'जी' वृत्त-जयपुर	मै.विष्णु ट्रेडिंग कंपनी, जयपुर	7.13	21.07.99	2
वा.क.अ. 'जी' वृत्त-जयपुर	मै.श्री नाथ वाईन्स, जयपुर	6.97	10.11.98	3
स.आ. 'बी' वृत्त अलवर	मै. गोधा आयल मिल्स, अलवर	6.28	28.01.99	2

अत: विभाग द्वारा वसूलियों हेतु उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण 385.96 लाख रुपयों की बकाया राशि की वसूली 6 से 41 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद नहीं हो सकी।

2.2.8 कुर्क सम्पत्ति का निरस्तारण नहीं करना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क सम्पत्ति की बिक्री हेतु कार्यवाही, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की घोषणा (एस टी आर-IV) में दर्शायी गई दिनांक/समयावधि के अन्दर की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री हेतु बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिये व्यापक प्रचार किया जायेगा।

वसूली अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 8* कर निर्धारण वृत्तों में 24 चूककर्त्ताओं की सम्पत्तियां, जो 796.30 लाख रुपये के राजकीय बकायों का भुगतान करने में असफल रहे, को सितम्बर 1987 एवं फरवरी 1999 की अवधि के दौरान कुर्क की गई थी, का 1 से 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 796.30 लाख रुपये की राजकीय बकाया बिना वसूल हुए बाकी रही।

* (1) वा.क.अ.-'ए' अलवर, (2) भिवाड़ी, (3) 'बी'-भरतपुर, (4) विशेष-III जयपुर, (5) 'सी' जयपुर, (6) झुन्झुनु, (7) 'ए'-कोटा, (8) सिरोही।

कुछ निदर्शी मामले निम्नानुसार हैं:-

(अ) कर निर्धारण वृत्त 'सी', जयपुर में मै. स्वदेशी सीमेन्ट लि. कोटपूतली के विरुद्ध 1986-87 से 1994-95 की अवधि से सम्बन्धित 254.24 लाख रुपये की मांग, जिसका निर्धारण अगस्त 1990 एवं फरवरी 1997 के मध्य किया गया था, बकाया थी। विभाग ने, 17 दिसम्बर 1992 एवं 27 फरवरी 1996 को उसकी अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली। बिक्री हेतु घोषणा जारी होने के पश्चात सम्पत्ति के निस्तारण हेतु नीलामी 24 मई 1996 तथा उसके पश्चात 10 जुलाई 1996 निश्चित की गई थी, किन्तु विभाग सम्पत्ति बेचने में असफल रहा क्योंकि कोई बोलीदाता आया ही नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नगाड़े तथा राष्ट्रीय स्तर के (अंग्रेजी/हिन्दी) अखबारों में विज्ञापन इत्यादि द्वारा, जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित है, सम्पत्ति की बिक्री हेतु व्यापक प्रचार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 45 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद, इस सम्पत्ति का निस्तारण नहीं हो सका (अप्रैल 2000)।

(ब) भिवाड़ी में, एक व्यवसायी मै. विकास हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी के विरूद्ध 1992-93 एवं जनवरी 1998 की अवधि से सम्बन्धित 175.05 लाख रुपये की मांग बकाया थी (अगस्त 1996 एवं फरवरी 1998 के दौरान निर्धारित)। चूँकि व्यवसायी बकाया राशि जमा कराने में असफल रहा, तो सम्पत्ति कुर्क कर ली गई (दिसम्बर 1998) तथा 23 फरवरी 1999 को सम्पत्ति की नीलामी करने का निर्णय लिया गया। व्यवसायी द्वारा अपील करने पर उपायुक्त (अपील्स-II) ने सम्पत्ति की नीलामी 3 मार्च 1999 तक स्थगित कर दी। स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद, 28 जुलाई 1999 को तथा उसके पश्चात 11 जनवरी 2000 को नीलामी हेतु बिक्री की घोषणा जारी (जून 1999) की गई, किन्तु सम्पत्ति का निस्तारण नहीं किया जा सका क्योंकि व्यापक प्रचार के अभाव के कारण कोई भी बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ। 15 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद नीलामी हेतु आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 2000)।

(स) वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी के 9 व्यवसायियों के मामले में, 1992-93 एवं सितम्बर 1998 की अवधि से सम्बन्धित 197.86 लाख रुपये की मांग, जिसका निर्धारण मार्च 1995 एवं सितम्बर 1999 के दौरान किया गया था, बकाया थी। बकाया की वसूली हेतु विभाग ने, जनवरी 1999 एवं फरवरी 1999 के दौरान चूककर्त्ताओं की अचल सम्पत्तियां कुर्क कर ली तथा मार्च 1999 एवं जनवरी 2000 के दौरान उनकी निलामी करने का निर्णय लिया, किन्तु सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ क्योंकि कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि व्यापक प्रचार नहीं किया गया था।

2.2.9 (अ) अन्य राज्यों को भेजे गये आर आर सी के अनुवर्तन का अभाव

ऐसे दोषी व्यवसायियों के मामलों में, जिन्होनें अपना व्यापार/निवास राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर लिया है उनसे देय शासकीय बकायों की वसूली करने के लिये आर आर सी हेतु मांग पत्र सम्बन्धित राज्यों के जिलाधिशों को भेजे जाते हैं।

अभिलेखों की समीक्षा में पता चता कि 6* कर निर्धारण वृत्तों में 9 मामलों में, 32.01 लाख रुपये के राजस्व की वसूली हेतु, विभिन्न राज्यों को दिसम्बर 1988 एवं फरवरी 1999 के दौरान आर आर सी जारी किये गये थे। किन्तु 5 से 80 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद वसूली करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ब) अन्य राज्यों को आर आर सी नहीं भेजना

जयपुर में, मै. राधेश्याम बंसल के वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के निर्धारण अगस्त 1991 एवं मार्च 1997 में सम्पूरित कर क्रमश: 7.01 लाख रुपये एवं 11.26 लाख रुपये की मांगे कायम की गई थी।

जुलाई 1994 में आर आर अधिनियम के अन्तर्गत 11.94 लाख रुपये की मांग की वसूली हेतु जिलाधीश, कच्छ, कांडला (गुजरात) को भेजने के लिये, जिलाधीश जयपुर को एस टी आर-I जारी की गई तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड- II वृत्त 'बी' जयपुर द्वारा स्मरण पत्र दिया गया (मार्च 1996)। तत्पश्चात, मामला वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लिजिंग टैक्स-II, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया, जिन्होने आर आर अधिनियम के अन्तर्गत 7.01 लाख रुपये हेतु जिलाधीश, जयपुर को आगे और एस टी आर-I जारी की। यद्यपि जिलाधीश, जयपुर द्वारा एस टी आर-I इस आधार पर लौटा दी गई कि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वयं बिक्री कर प्राधिकारी अधिकृत थे। फिर भी विभाग द्वारा जुलाई 1997 में, आर आर अधिनियम के अन्तर्गत 7.01 लाख रुपये एवं 11.26 लाख रुपये के लिये जिलाधीश जयपुर को दुबारा एक अन्य एस टी आर-I जारी कर दी। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह दर्शाया गया हो कि वसूली करने हेतु आगे क्या कार्यवाही की गई थी (मई 2000)। विभाग द्वारा जिलाधीश, कच्छ (गुजरात) को सीधे ही आर आर सी नहीं भेजने से सरकार 18.27 लाख रुपये की बकायों की वसूली नहीं कर सकी।

2.2.10 निजी कम्पनियों के निर्देशकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन किसी राशि जिसकी वसूली फर्म से नहीं की जा सकी हो

* वा.क.अ. 'बी'-अलवर, 'बी'-भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, निम्बाहेड़ा एवं सिरोही।

की वसूली फर्म के निर्देशकों से, संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग की जा सकती है।

5* कर निर्धारण वृत्तों के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि विभाग 6 मामलों में ऐसे निर्देशकों के विरूद्ध 1985-86 से 1997-98 की अविध के लिये 687.87 लाख रुपये की बकाया की भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 2000), विभाग ने बताया कि एक मामले में जिसमें 226.02 लाख रुपये की वसूली अन्तर्निहित थी, के लिये कम्पनी के 3 निर्देशकों में से एक के विरूद्ध एस टी आर-I जारी की जा चुकी थी तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु शेष 2 निर्देशकों की सम्पत्तियों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे थे। शेष 5 मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2000)।

2.2.11 जमानतियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि दोषी व्यवसायी के साथ-साथ जमानती का दायित्व भी प्रतिभूति की राशि की सीमा तक होगा तथा वसूली की सभी रीतियां व्यवसायी के साथ-साथ जमानती के विरूद्ध भी प्रवर्तनीय होगी।

2 वाणिज्यिक कर कार्यालयों में, 3 व्यवसायियों (एक अलवर का तथा 2 सिरोही के) के मामले में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने व्यवसायियों के कुल 55.32 लाख रुपये की देय बकाया मांगों का भुगतान मासिक किश्तों में करने की अनुमति दी (अगस्त 1995 तथा मार्च 1997 के मध्य)। व्यवसायियों को प्रत्येक मामले में दो जमानतियों के साथ प्रतिभूति बन्ध पत्र प्रस्तुत करने थे। यद्यपि सभी तीनों व्यवसायियों ने प्रत्येक मामले में जमानतियों के साथ प्रतिभूति बन्धपत्र प्रस्तुत कर दिये थे किन्तु 2 व्यवसायी (एक अलवर का तथा एक सिरोही का) मासिक किश्तें जमा कराने में असफल रहे तथा तीसरे व्यवसायी ने केवल 14.57 लाख रुपये (13 किश्तें) जमा कराये। व्यवसायियों द्वारा बकाया मांगें जमा कराने में असफल रहने पर, यद्यपि कर निर्धारण अधिकारियों ने जमानतियों को मांग पत्र तो जारी कर दिये (फरवरी एवं जुलाई 1998) किन्तु विभाग द्वारा बकाया मांगों की वसूली हेतु, 21 से 27 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की (मई 2000)। इसके परिणमस्वरूप 40.75 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

---

* वा.क.अ. 'बी' अलवर, भिवाड़ी, विशेष-बीकानेर, विशेष-III जयपुर एवं सिरोही।

2.2.12 प्रारंभिक अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण/अभाव

वसूली की प्रगति अर्थात एस टी आर-I/आर आर सी जारी करने, मांग पत्र जारी करने, कुर्क सम्पत्ति की निलामी इत्यादि के अनुश्रवण की दृष्टि से, वाणिज्यिक कर आयुक्त ने निर्देश जारी किये (अक्टूबर 1965, सितम्बर 1969 एवं अक्टूबर 1971) कि वसूली अधिकारियों द्वारा, उनके द्वारा एस टी आर-I/आर आर सी के साथ-साथ अन्य कर निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त के अभिलेखन हेतु पंजिकाओं का संधारण किया जायेगा। मांग पत्र तथा कुर्की वारण्ट के समायोचित तामील को सुनिश्चित करने हेतु उनके द्वारा एक अलग पंजिका भी रखी जायेगी। वसूली अधिकारियों को, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, सभी मामलों में समायोचित कार्यवाही को अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से, सभी पंजिकाओं की समीक्षा करनी होगी।

15* कर निर्धारण वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि एस टी आर-I/आर आर सी की पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। कुर्की पंजिका का संधारण भी, दो कर निर्धारण वृत्तों (वा क अ, विशेष-जोधपुर एवं विशेष पाली) को छोड़कर किन्तु वहाँ पर भी वे अपूर्ण थी, नहीं किया गया था। इन पंजिकाओं के अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितनी एस टी आर-I/आर आर सी जारी की गई, अन्य कर निर्धारण वृत्तों से प्राप्त हुई तथा वसूली अधिकारी द्वारा लौटा दी गई तथा विभाग द्वारा वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई।

ये बिन्दु विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को सूचित किये गये (सितम्बर 2000), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2000)।

2.3 लघु/ मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत सरकार ने उद्योगों के लिये दो बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाएं अधिसूचित की (मई 1987 एवं जुलाई 1989), जिसके अन्तर्गत कर छूट का लाभ स्थायी पूंजी विनियोजन से संबंधित है। छोटे सीमेन्ट प्लान्टों के मामले में, लघु श्रेणी के उद्योगों एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये क्रमशः एक करोड़ रुपये एवं पांच करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन, कर से छूट की सीमा को 50 प्रतिशत से

* वा क अ 'ए'-अलवर, 'बी'-अलवर, विशेष-अलवर, 'बी'-भरतपुर, भिवाड़ी, धौलपुर, 'सी'-जयपुर, विशेष-I, जयपुर, विशेष-III, जयपुर, विशेष-II, जोधपुर, 'ए' कोटा, 'बी'-कोटा, अपवंचन निरोधक-I, कोटा, विशेष पाली एवं सिरोही।

75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 1996)। इसके अतिरिक्त, विस्तार/विविधिकरण के लिये, लघु श्रेणी के उद्योग उनकी पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 75 प्रतिशत की सीमा तक जैसा कि जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो, अधिकतम बिक्री कर छूट के लिये पात्र थी। उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों के लिये प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनियोजन की सीमा 17 जून 1992 तक 35 लाख रुपये तथा उसके पश्चात 60 लाख रुपये थी।

(अ) 2 वाणिज्यिक कर कार्यालयों* में यह देखा गया (अक्टूबर एवं नवम्बर 1999) कि 14 छोटे सीमेन्ट प्लान्टों जिनमें लघु श्रेणी के उद्योग का पूंजी विनियोजन था तथा एक छोटे सीमेन्ट प्लान्ट जिसमें मध्यम श्रेणी के उद्योग का पूंजी विनियोजन था को क्रमश: 1 करोड़ रुपये एवं 5 करोड़ रुपये से अधिक की छूट प्रदान कर दी थी, जो गलत थी। इसके परिणामस्वरूप 427.55 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999 एवं जनवरी 2000) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2000) कि जोधपुर की इकाइयों के पात्रता प्रमाणपत्र संशोधित कर दिये गये हैं तथा छूट की राशि को एक करोड़ रुपये एवं पांच करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया है। भिवाड़ी की इकाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

मामला (अप्रैल एवं मई 2000) सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

(ब) 2 वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (अक्टूबर एवं नवम्बर 1999) कि 4 लघु श्रेणी की इकाइयों को उनके विस्तार/विविधिकरण हेतु एवं 12 मध्यम श्रेणी की इकाइयों (11 नई इकाइयां एवं 1 विस्तार हेतु) को प्रोत्साहन योजना 1987 के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई। तथापि, कर निर्धारण अधिकारियों ने, लघु श्रेणी की इकाइयों हेतु पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तथा मध्यम श्रेणी की इकाइयों हेतु पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 75 प्रतिशत की सही छूट के बजाये पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत के लिये पात्रता प्रमाण पत्र गलत रूप से जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप 275.71 लाख रुपये की अधिक छूट दे दी गई।

---

* विशेष वृत्त-II, जोधपुर (5) वृत्त भिवाड़ी (10)।

** वृत्त भिवाड़ी (15), विशेष वृत्त, अजमेर (1)।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य), विभाग ने बताया (जुलाई 2000) कि अजमेर की औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में फरवरी 2000 में 2.64 लाख रुपये (ब्याज सहित) की मांग कायम की जा चुकी हैं वसूली की सूचना एवं भिवाड़ी की औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

सरकार ने, जिसे मामला सूचित किया गया (मार्च एवं मई 2000) था, अजमेर की इकाइयों के सम्बन्ध में विभाग के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2000)।

(स) जयपुर में यह देखा गया (अप्रैल 1999) कि एक औद्योगिक इकाई को लघु श्रेणी की इकाई मानते हुए कर से छूट प्रदान कर दी गई, जबकि उसका प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनियोजन 91.20 लाख रुपये था, जो 60 लाख रुपये की उपर्युक्त सीमा से अधिक था तथा उसको मध्यम श्रेणी की इकाई माना जाना चाहिये था। उस इकाई को मध्यम श्रेणी की इकाई हेतु 164.60 लाख रुपये (स्थायी पूंजी विनियोजन का 100 प्रतिशत) की बजाय 205.75 लाख रुपये (स्थायी पूंजी विनियोजन का 125 प्रतिशत) के लिये पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 41.15 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1999), विभाग ने सूचित (अगस्त 2000) किया कि इकाई का पात्रता प्रमाणपत्र संशोधित किया जा चुका है तथा छूट की राशि को स्थायी पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया है।

मामला सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2000) गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.4 कर से अधिक छूट प्रदान करना

प्रोत्साहन योजनाओं की उप धारा 4 (अ) में जोड़े गये प्रावधानों (जनवरी 1990 में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत एवं फरवरी 1990 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत) के अनुसार कुछ छोटे सीमेन्ट प्लान्ट योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कर दायित्व से 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट की अधिकारी थी। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन योजनओं के अनुसार '1985 की डिस्पेन्सेशन योजना' से आच्छादित औद्योगिक इकाइयां, प्रोत्साहन के लिये कुल 5 वर्ष की अवधि के लिये पात्र थी।

8 कर निर्धारण वृत्तों में कर निर्धारण अभिलेखों की जाचं में पता चला कि 16 मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक की छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप

128.66 लाख रुपये की कर एवं ब्याज से अधिक छूट प्रदान कर दी गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वृत्त का नाम	मामलों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	अनियमितता की प्रकृति	कर एवं ब्याज की अधिक छूट (लाख रुपयों में)
1	विशेष, अलवर	1	1993-94 एवं 1994-95/ जून 1996 एवं फरवरी 1997	सीमेंट	इन इकाइयों को गलत रूप से लघु उद्योग इकाइयां माना गया तथा उनके कर दायित्व से 50 प्रतिशत की बजाय 100/75 प्रतिशत की सीमा तक छूट दे दी गई थी।	11.27
2	वृत्त, चूरू	9	1995-96/ सितम्बर 1998	सीमेंट	उपरोक्तानुसार	62.94
3.	वृत्त-'ई', जयपुर	1	1995-96/ मार्च 1998	सीमेंट	उपरोक्तानुसार	1.80
4.	विशेष-II, जयपुर	1	1995-96/ जनवरी 1999	सीमेंट	उपरोक्तानुसार	2.25
5.	विशेष-I, जोधपुर	1	1995-96/ मार्च 1998	सीमेंट	उपरोक्तानुसार	7.72
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1998 एवं जनवरी 2000 के मध्य), विभाग ने सूचित (जुलाई/अगस्त 2000) किया कि 2 व्यवसायियों (क्र.सं 3 एवं 5) के सम्बन्ध में 12.93 लाख रुपये की मांग (ब्याज सहित) कायम (जून एवं अगस्त 2000) की जा चुकी हैं वसूली की सूचना एवं शेष व्यवसायियों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)। मामला सरकार को सूचित (फरवरी एवं मई 2000 के मध्य) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।						
6.	विशेष-V, जयपुर	1	1993-94 एवं 1994-95/ फरवरी एवं मार्च 1997	सीमेन्ट	यह इकाई डिस्पेन्सेशन योजना द्वारा आच्छादित थी तथा कुल 5 वर्ष की अवधि के लिये (अर्थात 10 मार्च 1993 तक) छूट की पात्र थी, किन्तु इकाई को पांच वर्ष से आगे वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के लिये गलतरूप से छूट दे दी गई।	38.16
टिप्पणी:-चूक विभाग के ध्यान में लाई गई (नवम्बर 1997) तथा सरकार को सूचित (फरवरी 2000) की गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2000)।						
7.	वृत्त, किशनगढ़	1	1995-96/ मार्च 1998	मार्बल टाईल्स	इकाई को 8.43 लाख रुपये की छूट प्रदान की गई थी। किन्तु 10.58 लाख रुपये तक की छूट दे दी गई।	2.15
टिप्पणी:-इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1999), विभाग ने सूचित (अप्रैल/अगस्त 2000) किया कि 2.15 लाख रुपये की मांग कायम (जनवरी 2000) की जा चुकी है, जिसमे से 0.50 लाख रुपये की वसूली हो चुकी हैं वसूली की आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (सितम्बर 2000)। सरकार ने जिसे मामला सूचित (फरवरी 2000) किया गया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2000)।						

क्र. सं.	वृत्त का नाम	मामलों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	अनियमितता की प्रकृति	कर एवं ब्याज की अधिक छूट (लाख रुपयों में)
8.	विशेष-I, जयपुर	1	1996-97/ मार्च 1999	लुब्री-केटिंग आयल	इकाई को उसके कर दायित्व से 75 प्रतिशत के बजाये 100 प्रतिशत की सीमा तक छूट दे दी गई।	2.37
टिप्पणी:-चूक विभाग के ध्यान में लाई गई (दिसम्बर 1999) तथा सरकार को सूचित (फरवरी 2000) की गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2000)।						
योग		16				128.66

2.5 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत गलत छूट प्रदान करना

सरकार ने, 100 रुपये तक मूल्य के सभी प्रकार के जूतों के, चमड़े के बने जूतों को छोड़कर, क्रय-विक्रय को कर से मुक्त किया (मार्च 1994)। न्यायिक रूप से यह माना* गया है कि जूतों के मूल्य पर आधारित छूट सामान्य छूट नहीं है तथा इन जूतों की अन्तर्राज्यीय बिक्रीयाँ अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं थी।

सात वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (फरवरी 1999 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य) कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान 15 व्यवसाइयों ने 2432.82 लाख रुपये मूल्य के, 100 रुपये तक मूल्य के जूतों की अन्तर्राज्यीय बिक्री की तथा उस पर छूट का दावा किया। ये बिक्रियाँ, सामान्य छूट के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थी, किन्तु व्यवसाइयों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (अगस्त 1997 एवं मार्च 1999), कर निर्धारण अधिकारियों ने गलत रूप से छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप कुल 243.28 लाख रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य), विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2000) कि एक व्यवसायी के सम्बन्ध में 9.72 लाख रुपये की मांग (ब्याज सहित) कायम की जा चुकी हैं वसूली की सूचना एवं अन्य व्यवसाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

---

*1. (1992) 11 आर टी जे एस 110 महावीर रबड़ वर्क्स बनाम सी टी ओ (एस टी एस बी)।
2. (1995) 98 एस टी सी 219 सस्ता इण्डस्ट्रीज बनाम अतिरिक्त उपायुक्त (कर्नाटक)।
3. (1995) 99 एस टी सी 293 मनीष प्लास्टिक बनाम सी सी टी (कर्नाटक)।

** वृत्त-'ए' जयपुर (2), वृत्त-'बी', बीकानेर (1), विशेष वृत्त-II जोधपुर (1), अपवंचन निरोधक वृत्त-III, जयपुर (3) भिवाड़ी वृत्त (5), सीकर वृत्त (2), विशेष वृत्त-उदयपुर (1)।

मामला (मार्च 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य) सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.6 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954, एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनिमय, 1956, के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987' अधिसूचित की (23 मई 1987), जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां इसमें बताई गई अधिकतम मात्रा के अधीन उनके कर दायित्व की 100 प्रतिशत छूट की अधिकारी थी। ऐसे मामले में, जहाँ व्यवसायी छूट का लाभ उठाने के बाद पाँच वर्ष के भीतर उत्पादन बन्द कर देता है तो उस पर यह मानते हुए कर आरोप्य होगा कि वहां कोई छूट नहीं थी।

उदयपुर में देखा गया (मई 1999) कि एक औद्योगिक इकाई जिसको 15 अक्टूबर 1991 को पात्रता प्रमाणपत्र (14 अक्टूबर 1998 तक वैध) प्रदान किया गया था ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 238.50 लाख रुपये की कर छूट का लाभ उठाने के बाद, अगस्त 1995 से अपना उत्पादन बन्द कर दिया। इकाई द्वारा पहले से ही प्राप्त की गई कर छूट की वसूली करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 238.50 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1999), कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2000) कि मामला, अनुमत छूट वापस लेने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश के लिये, वाणिज्यिक कर आयुक्त को भेजा जा चुका हैं तथापि, मामले में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

चूक को विभाग के ध्यान में (जून 1999) लाया गया तथा सरकार को सूचित (मार्च 2000) किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2000)।

2.7 क्रय कर आरोपित नहीं करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यवसायी बिना कोई कर चुकाये माल क्रय करता है तथा निर्माण में उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, तो वह 3 प्रतिशत की दर अथवा ऐसे माल की श्रेणी के लिये निर्धारित कर की दर जो भी कम हो, से क्रय कर चुकाने का दायी होगा।

न्यायिक रूप से यह माना* गया है कि तेल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया 'निर्माण' की श्रेणी में आती हैं

5 वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (अप्रैल 1999 एवं अक्टूबर 1999 के मध्य) कि वर्ष 1994-95 एवं 1996-97 के दौरान छः निर्माणकर्ताओं ने 2572.44 लाख रुपये मूल्य का वनस्पति तेल घोषणापत्रों के समर्थन पर पुनः विक्रय हेतु बिना कोई कर चुकाये क्रय किया था किन्तु उसका उपयोग परिष्कृत तेल के निर्माण में किया। निर्माणकर्ताओं के कर निर्धारणों को अन्तिमरूप देते समय (नवम्बर 1996 एवं मार्च 1999 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारियों ने 77.18 लाख रुपये का क्रय कर आरोपित नहीं किया। इसके अतिरिक्त मार्च 2000 तक 70.72 लाख रुपये का ब्याज भी आरोप्य था।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1998 एवं जनवरी 2000 के मध्य), विभाग ने सूचित (जुलाई/अगस्त 2000) किया कि 2 व्यवसायियों के सम्बन्ध में 12.93 लाख रुपये की मांग (ब्याज सहित) कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना एवं शेष व्यवसायियों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित किया गया (फरवरी एवं मई 2000 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.8 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 5 फरवरी 1994 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने सभी प्रकार के कम्प्यूटर एवं उनके पुरजों तथा उपकरणों सहित के विक्रय पर 4 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की।

जयपुर में यह देखा गया (सितम्बर 1999) कि वर्ष 1996-97 के दौरान एक व्यवसायी ने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में 536.12 लाख रुपये मूल्य के कम्प्यूटरों की बिक्री की। तथापि व्यवसायी के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण को अन्तिमरूप देते समय (फरवरी 1999), कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विक्रय पर, 4 प्रतिशत की सही दर के बजाय उनको इलेक्ट्रोनिक्स सामान मानते हुए 2

* (1998) 111 एस टी सी 188 मै. बी.पी. आयल मिल्स वि. बनाम बिक्री कर अधिकरण एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय)। बिक्री कर याचिका संख्या 02/ 1997 मै. बी.डी. आयलस प्रा.लि. बनाम सचिव जि.स्त.छा.सं. एवं आ.वा.क. (आर टी टी)।

** विशेष वृत्त-भीलवाड़ा (1), वृत्त-गंगापुर सिटी (1), वृत्त-'ए' जयपुर, (1), विशेष वृत्त-III, जयपुर (2), वृत्त-नागौर (1)।

प्रतिशत की दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप 10.72 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2000 तक 10.08 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय हैं।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999), विभाग ने व्यवसायी के विरूद्ध मांग कायम कर दी (सितम्बर 2000)। तथापि, वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

सरकार को मामला सूचित (फरवरी 2000) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

(ii) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 15 मार्च 1996 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने, बिजली के पखों सहित सभी प्रकार के बिजली के सामान के विक्रय पर 12 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की।

जयपुर में यह देखा गया (अक्टूबर 1999) कि वर्ष 1996-97 के दौरान एक व्यवसायी ने पुलिस विभाग के सहकारी भण्डारों को 19.15 लाख रुपये मूल्य के बिजली के पंखों का विक्रय किया तथा उस पर 4 प्रतिशत की दर से इस आधार पर कर प्रभारित किया कि क्रेता द्वारा एस.टी. 17 प्रपत्र में घोषणापत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप कुल 2.66 लाख रुपये के कर/ब्याज (कर: 1. 53 लाख रुपये एवं ब्याज: 1.13 लाख रुपये अक्टूबर 1999 तक) का कम आरोपण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999), विभाग ने सूचित (जुलाई 2000) किया कि 3.07 लाख रुपये की मांग (कर: 1.63 लाख रुपये एवं ब्याज: 1.44 लाख रुपये) कायम (मई 2000) की जा चुकी हैं। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

मामला, फरवरी 2000 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.9 कर से गलत छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत कुछ अधिसूचनाएं जारी कर सरकार ने कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय को, इनमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय को, इनमें निर्दिष्ट ऐसे प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन, कर मुक्त कर दिया।

छः कर निर्धारण वृत्तों में कर निर्धाण अभिलेखों की जांच में पता चला कि 11 मामलों में दी गई छूट गलत थी, जिसके परिणामस्वरूप 20.11 लाख रुपये के कर एवं ब्याज (कर: 17.04 लाख रुपये एवं ब्याज: 3.07 लाख रुपये, अक्टूबर 1996 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिये) का आरोपण नहीं हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	अनियमितता की प्रकृति	व्यापारावर्त	कर एवं ब्याज का कम आरोपण
1	वृत्त 'ए' कोटा	2	1996-97/ जुलाई 1998 एवं मार्च 1999	केनवास क्लाथ	चूँकि वस्तु पर कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय नहीं हैं, इस पर छूट देय नहीं थी जो कि गलतरूप से दे दी गई।	33.62	5.48
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जुलाई 1999), विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि अप्रैल 2000 में 5.60 लाख रुपये की मांग (कर: 3.26 लाख रुपये एवं ब्याज: 2.34 लाख रुपये) कायम की जा चुकी हैं वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)। सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 2000 में सूचित किया गया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2000)।							
2	वृत्त-'ए' अजमेर	2	1995-96 एवं 1996-97/ अगस्त 1997 एवं जुलाई 1998	निवार	चूँकि निवार पर कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय नहीं है, निवार के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर छूट देय नहीं थी जो गलत रूप से दे दी गई।	59.86	2.39
3.	वृत्त-'सी', जोधपुर	1	1996-97/ दिसम्बर 1998	निवार	उपरोक्तानुसार	30.41	1.22
4.	वृत्त-'ए', भीलवाड़ा	3	1996-97/ दिसम्बर 1998 एवं फरवरी 1999 के मध्य	निवार	उपरोक्तानुसार	51.97	2.08
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य), अजमेर एवं भीलवाड़ा के कर निर्धारण अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 27 मार्च 1995 से 25 मार्च 1999 की अवधि के लिये निवार को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त (30 सितम्बर 1999) कर दिया हैं उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि उक्त छूट राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के अन्दर की गई बिक्री के लिये थी तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लागू नहीं थी तथा सरकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने को अधिकृत नहीं हैं, मामला दिसम्बर 1999 एवं अप्रैल 2000 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया तथा फरवरी एवं मई 2000 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2000)।							

क्र. सं.	वृत्त का नाम	इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	अनियमितता की प्रकृति	व्यापारावर्त	कर एवं ब्याज का कम आरोपण
5.	वृत्त-सीकर	2	1996-97/ सितम्बर एवं दिसम्बर 1998	खाण्ड-सारी	व्यवसायियों ने प्रशमन योजना हेतु फीस/ आवेदन, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से निर्धारित 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद जमा कराया। अत: दी गई छूट गलत थी।।	54.47	1.94
टिप्पणी:-चूक, जनवरी 2000 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा फरवरी 2000 में सरकार को सूचित की गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2000)।							
6.	विशेष वृत्त-II, जयपुर	1	1994-95 एवं 1995-96/ मई 1998	कोल ब्रिकेट्स	कोल ब्रिकेट्स बनाने को, गलत रूप से 'विनिर्माण' माना गया तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गलतरूप से छूट दे दी गई।	233.30	7.00
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1999), विभाग ने बताया कि व्यवसायी द्वारा अपील करने पर राजस्थान कराधान अधिकरण द्वारा कार्यवाही पर स्थगन है तथा स्थगन निरस्त करवाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे। मामला फरवरी 2000 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।							
योग		11					20.11

2.10 मामले के कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास विश्वास करने के कारण हों कि अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान योग्य किसी राशि का अपवंचन/अनिर्धारण हुआ है तो वह अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर या ऐसी जांच पड़ताल करने के पश्चात, जैसा भी उचित समझे, 8 वर्षों की अवधि के अन्दर ऐसे कर निर्धारण आदेश सम्पूरित करेगा। कर निर्धारण अधिकारी मामले को पुन: खोलने के लिए व्यवसायी को, सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर नोटिस जारी करेगा। यदि इस समय सूची का अनुसरण नहीं किया जाता है तो मामला कालातीत हो जाता है तथा कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

अलवर में यह देखा गया (नवम्बर 1993) कि वर्ष 1983-84 से 1988-89 के दौरान एक निर्माणकर्ता ने 90.84 लाख रुपये मूल्य के स्टिकर का विक्रय किया तथा उन्हें कर मुक्त वस्तु मानते हुए उन पर कर से छूट का दावा किया। व्यवसायी के सम्बन्धित वर्षों के कर निर्धारणों को अन्तिमरूप देते समय (जून एवं जुलाई 1992), कर निर्धारण अधिकारी ने भी मांगी गई कर से छूट गलत रूप से

प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 9.07 लाख रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ।

यद्यपि त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई (जनवरी 1994) थी किन्तु करारोपण हेतु समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथापि, विभाग ने अब सूचित (फरवरी 2000) किया कि करारोपण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि मामला पहले से ही मार्च 1997 में कालातीत हो चुका हैं अत: अपवंचित कर आरोपित करने हेतु समायोचित कार्यवाही करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 9.07 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को सूचित (मई 2000) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.11 ब्याज का कम आरोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत यदि व्यवसायी ने विवरणी के अनुसार कर का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया है तो वह, ऐसी राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के भुगतान करने का दायी होगा।

भीलवाड़ा में यह देखा गया (नवम्बर 1999) कि दो व्यवसायियों के वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 1998 एवं फरवरी 1999) कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायियों द्वारा मासिक अग्रिम कर के विलम्बित भुगतान के लिये 8.21 लाख रुपये के बजाय गलतरूप से 4.42 लाख रुपये का ब्याज आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 3.79 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999), विभाग/सरकार ने बताया (अप्रैल/अगस्त 2000) कि नवम्बर 1999 एवं मई 2000 में 3.79 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है जिसमें से नवम्बर 1999 में एक व्यवसायी के सम्बन्ध में 2.09 लाख की वसूली की जा चुकी थी। अन्य व्यवसायी के सम्बन्ध में वसूली की सूचना प्राप्त नहीं है (सितम्बर 2000)।

2.12 कर योग्य व्यापारावर्त का गलत निर्धारण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994, के अन्तर्गत, जहां कोई व्यवसायी उसके द्वारा प्रस्तुत किसी घोषणा पत्र के समर्थन पर, बिना कोई कर चुकाये, कोई माल

क्रय करता है तथा उनका उपयोग घोषणापत्र के उल्लिखित प्रयोजन के अतिरिक्त करता है तो वह ऐसे क्रय पर ब्याज सहित निर्धारित दरों से कर चुकाने का दायी होगा।

बुन्दी में यह देखा गया (सितम्बर 1997) कि वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान एक व्यवसायी ने एस.टी.17 प्रपत्र में धोषणापत्र के समर्थन पर राज्य के भीतर पुन: विक्रय हेतु बिना कोई कर चुकाये पत्थर क्रय किया किन्तु उनको निर्यात के क्रम में 33.61 लाख रुपये हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रपत्र 'एच' में तथा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रपत्र 'एस.टी.17 बी' में घोषणापत्रों पर विक्रय किया। तथापि, व्यवसायी के कर निर्धारणों को अन्तिमरूप देते समय (जून 1996 एवं जनवरी 1997 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारी अनियमितता का पता लगाने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के अतिरिक्त 3.36 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1997), विभाग ने बताया (नवम्बर 1999) कि मार्च 1999 में 7.13 लाख रुपये की मांग (3.77 लाख रुपये के ब्याज सहित) कायम की जा चुकी हैं वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित (अप्रैल 2000) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.13 एच डी पी ई वस्त्रों पर गलत छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत हाई डेन्सिटी पोली इथीलीन (एच डी पी ई) वस्त्रों एवं पोली प्रोपीलीन (पी पी) के बुने वस्त्रों पर, पैकिंग सामग्री के रूप में, 7 मार्च 1988 तक 8 प्रतिशत तथा उसके पश्चात 10 प्रतिशत की सामान्य अवशिष्ट दर से कर आरोपणीय था। तदन्तर राज्य सरकार ने 28 फरवरी 1986 से 1 मई 1994 के दौरान एच डी पी ई/पीपी के बुने वस्त्रों के किये गये क्रय या विक्रय को कुछ शर्तो सहित भूतलक्ष्यी प्रभाव से कर मुक्त कर दिया (13 सितम्बर 1994)। तथापि, यह छूट, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लागू नहीं थी।

जयपुर में देखा गया (दिसम्बर 1996) कि वर्ष 1992-93 के दौरान एक व्यवसायी ने 23.84 लाख रुपये मूल्य के एच डी पी ई वस्त्रों का अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय किया तथा उस पर कर से छूट का दावा किया। व्यवसायी के कर निर्धारण को अन्तिमरूप देते समय (अप्रैल 1995) कर निर्धारण

अधिकारी ने गलतरूप से मांगी गई छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 2.38 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1997), विभाग ने सूचित (जुलाई 2000) किया कि अक्टूबर 1998 में 2.38 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी, जिसमें से 0.48 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे तथा व्यवसायी द्वारा अपील करने पर 1.90 लाख रुपये की शेष राशि की वसूली पर अपीलीय प्राधिकारी का स्थगन हैं आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित (मई 2000) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.14 अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सरकार ने, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यि के दौरान किये गये खाद्य तेल के विक्रय पर 1.5 प्रतिशत की कर दर निर्धारित (18 अप्रैल 1990) की, बशर्ते कि, ऐसे खाद्य तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त तिलहन पर राज्य के अन्दर पहले से ही 3 प्रतिशत से कर चुका दिया गया हो। इसके अतिरिक्त किसी माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर प्रपत्र 'सी' में घोषणापत्र द्वारा समर्थित होने पर, 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

रायसिंहनगर में यह देखा गया (मार्च 1996) कि वर्ष 1992-93 के दौरान एक विनिर्माता ने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान 83.11 लाख रुपये मूल्य के बिनौला तेल का विक्रय किया तथा प्रपत्र 'सी' में घोषणापत्र के समर्थन पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया। विनिर्माता के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जून 1994), कर निर्धारण अधिकारी ने भी 1.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। तथापि, लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि खाद्य तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त तिलहन, कर चुकी कपास की ओटाई से प्राप्त किये गये थे तथा उस पर व्यवसायी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान नहीं किया गया था। अंत: खाद्य तेल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर 1.5 प्रतिशत की बजाय सही रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर संदेय था। इसके परिणामस्वरूप 2.5 प्रतिशत की अन्तर दर से 2.08 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1999), विभाग ने बताया (अगस्त 1999 एवं मई 2000) कि मार्च 1999 में 2.08 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी, जिसमें से 0.50 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

मामला सरकार को सूचित (मार्च 2000) किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

2.15 कार्य संविदा पर कर का कम आरोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 1989 (1 जुलाई 1989 को प्रकाशित) को एक अधिसूचना जारी कर सरकार ने प्रावधान किया कि एक ठेकेदार को कार्य संविदा के निष्पादन में काम ली गई वस्तुओं के मूल्य पर ऐसी वस्तुओं के लिये अधिसूचित दरों पर कर का भुगतान करना होगा। ठेकेदार कार्य संविदा के निष्पादन के लिये घोषणापत्रों के समर्थन पर कर की रियायती दर से माल क्रय करने के अधिकारी नहीं है। सरकार ने पाईप एवं पाईप फिटिंग्स के विक्रय पर 12 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की।

अजमेर में यह देखा गया (मार्च 1998) कि वर्ष 1990-91 के दौरान एक ठेकेदार ने एस.टी. 17 प्रपत्रों के समर्थन पर क्रमशः 7.57 लाख रुपये एवं 5.15 लाख रुपयें के एम.एस.पाईप्स एवं एम.एस.पाईप जोइन्ट्स क्रय किये तथा क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान किया तथा जल आपूर्ति स्टेशनों के निर्माण हेतु एक कार्य संविदा के निष्पादन में उनका उपयोग किया। यद्यपि, ठेकेदार घोषणापत्रों के समर्थन पर कर की रियायती दर से ये माल क्रय करने का अधिकारी नहीं था, ठेकेदार के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 1996), कर निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः 9 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत से अन्तर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 4.51 लाख रुपये के कर (ब्याज सहित) का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1998), विभाग ने सूचित (अगस्त 2000) किया कि मई 1999 में 4.51 लाख रुपये (ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग कायम की जा चुकी थी। तथापि, व्यवसायी द्वारा अपील करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन हैं आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार, ने जिसे मामला अप्रैल 2000 में सूचित किया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2000)।

अध्याय-3: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 11839 मामलों में 1662.82 लाख रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/ कम भुगतान करना	11780	1601.07
2.	विशेष पथ कर का अनिर्धारण/कम निर्धारण	28	29.70
3.	अन्य अनियमितताएं	31	32.05
	योग	11839	1662.82

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 1488 मामलों में अन्तर्निहित 781.54 लाख रुपयों के विशेष पथ कर के कम अवधारण, कर का कम आरोपण और राजस्व हानि आदि के स्वीकार किये जिनमें से 87 मामले, जिनमें 319.99 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा शेष पूर्वगामी वर्षों में सूचित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 124 मामलों में 56.76 लाख रुपयों की वसूली की जिनमें से 2 मामले, जिनमें 0.30 लाख रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा शेष पूर्वगामी वर्षों में सूचित किये गये थे। उदाहरणार्थ कुछ मामले, जिनमें 266.74 लाख रुपये अन्तर्निहित है जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3.2 शास्ति/ प्रशमन राशि की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951, एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मोटर वाहन कर एंव विशेष पथ कर, निर्धारित दरों पर मासिक/ त्रैमासिक/छ: मासिक या वार्षिक आधार पर अनुज्ञेय अवधि में देय होता है। यदि बकाया देय कर का भुगतान अनुज्ञेय अवधि में देय भुगतान नहीं करने पर वाहन स्वामी 31 जुलाई 1998 तक प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से तथा इसके पश्चात 3 प्रतिशत की दर से शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा जो देय वार्षिक कर के दो गुणा तक होगा। आगे मोटर वाहन बिना कर भुगतान के उपयोग करने या उपयोग हेतु राज्य में रखना दण्डनीय अपराध है, जिसे कराधान प्राधिकारी द्वारा कम से कम 50 रुपये किन्तु देय वार्षिक कर से अधिक नहीं, स्वीकार कर प्रशमन कर सकेगा। तथापि अन्य राज्य के वाहन राजस्थान में बिना कर चुकाये संचालित पाये जाने पर प्रशमन की राशि देय कर की राशि के चार गुणा से कम नहीं होगी। आगे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा किसी निर्धारित प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षरित कराये बिना कोई भी वाहन यात्रियों या सामान के लाने ले जाने के लिये परिवहन वाहन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

(क) 14 कार्यालयों* में यह देखा गया कि देय कर के भुगतान हेतु स्वीकृत अवधि व्यतीत होने के पश्चात कर एवं विशेष पथ कर की राशि वसूल करते समय (1995-96 एवं 1998-99 के मध्य) उड़नदस्ते ने भुगतान में देरी की अवधि के लिए प्रशमन राशि या तो वसूल नहीं की या कम वसूल की। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम दर से 8366 मामलों में 4.18 लाख रुपये प्रशमन राशि एवं 2368 मामलों में 3.74 लाख रुपये शास्ति की अवसूली/कम वसूली की गई। इस प्रकार कुल 7.92 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

(ख) 9 कार्यालयों** में यह देखा गया कि राज्य में संचालित पाये गये बिना अनुज्ञापत्र या बिना देय कर चुकाये अन्य राज्यों के परिवहन या गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में कर एवं प्रशमन राशि वसूल करते समय (1995-96 एवं 1998-99 के मध्य) उड़नदस्ते ने या तो प्रशमन राशि वसूल नहीं की या कम राशि वसूली की। जिसके परिणामस्वरूप 389 मामलों में कुल 53.10 लाख रुपये प्रशमन राशि की अवसूली/कम वसूली रही।

---

* अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही और श्रीगंगानगर।

** बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधुपर, कोटा, पाली, सिरोही, और श्री गंगानगर।

त्रुटि विभाग के ध्यान में (मई 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य) लाई गई तथा सरकार को सूचित (फरवरी 2000) किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2000)।

3.3 मोटर वाहन कर/विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

(i) राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत सभी वाहनों पर, जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। मोटर वाहन कर के अतिरिक्त, विशेष पथ कर भी सभी परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से देय हैं। सरकार ने (31 मार्च 1997) 1 अप्रैल 1997 से दोनों करों की दरें संशोधित की।

(क) चितौड़गढ़ एवं उदयपुर में यह पाया गया (जून एवं अगस्त/सितम्बर 1999) कि चार कम्पनी/कॉर्पोरेशनों के 46 डम्पर्स/भार वाहन जिन्हें फरवरी 1982 एवं फरवरी 1997 के मध्य पंजीकृत किये गये थे, के सम्बन्ध में मार्च 1999 तक वाहन कर एवं विशेष पथ कर या तो वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 83.44 लाख रुपये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जुलाई 1999), विभाग/सरकार ने बतलाया (जून 2000) कि 19 वाहनों के सम्बन्ध में 30.50 लाख रुपये वसूल कर लिये गये थे एवं शेष राशि की वसूली के प्रयत्न किये जा रहे थे। वसूली की आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2000)।

(ख) रामगंज-मण्डी में यह पाया गया (जून 1999) कि 15 एक्सकेवेटर जो फरवरी 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य पंजीकृत हुये थे के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर वसूल किया गया था, परन्तु विशेष पथ कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर राशि रुपये 1.45 लाख की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जान पर (जुलाई 1999), जिला परिवहन अधिकारी, रामगंज-मण्डी ने सूचित किया (दिसम्बर 1999) कि राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

त्रुटि विभाग के ध्यान में (जुलाई 1999) लाई गई तथा सरकार को सूचित (अक्टूबर 1999) किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।

(ii) राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत यात्री वाहन जो गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र* से आच्छादित होते हैं अप्रैल 1997 से निर्धारित वार्षिक कर का $^{1}/_{5}$ मोटर वाहन कर देय है। तदनुसार, उक्त अनुज्ञापत्र से आच्छादित नहीं होने के मामलों में निर्धारित पूरी दर से कर वसूलनीय है।

बीकानेर में यह पाया गया (मई एवं जून 1999) कि 13 मंजिली वाहनों से निर्धारित दर से कर वसूल नहीं किया गया जिनके अनुज्ञापत्र या तो समर्पित थे या उनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई थी। यद्यपि इन मामलों के पंजीयन प्रमाणपत्र अनुज्ञापत्रों सहित जमा नहीं कराये गये, अत: इनसे कर वसूलनीय था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1997 एवं मार्च 1999 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर राशि रुपये 3.17 लाख की अवसूली रही।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1999) विभाग/सरकार ने बतलाया (मई/सितम्बर 2000) कि 5 वाहनों से आंशिक राशि रुपये 0.67 लाख वसूल किये जा चुके थे। आंशिक वसूली एवं शेष मामलों में अवसूली के कारण प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।

3.4 एक बारीय कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1997 से 8 एवं 10 के मध्य बैठक क्षमता वाले गैर परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एक बारीय कर देय है। 1 अप्रैल 1997 से पूर्व राज्य अथवा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों से 30 अप्रैल 1997 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा उसके भाग के लिये निर्धारित राशि कमी के अधीन कर देय है।

8 परिवहन कार्यालयों** में यह पाया गया (मार्च 1999 एवं सितम्बर 1999 के मध्य) कि ऐसे गैर परिवहन वाहन जो 1 अप्रैल 1997 से पूर्व पंजीकृत थे 691 वाहनों के सम्बन्ध में 25.09 लाख रुपये उनके स्वामियों द्वारा एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया। कराधान अधिकारी ने भी देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

---

* गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र परिवहन वाहन जैसे कि मंजिली वाहनों एवं संविदा वाहनों को 5 वर्षों के लिए स्वीकृत किये जाते हैं।

** जि.प.अ. बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर एवं नागौर।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य) विभाग ने 14 वाहनों के सम्बन्ध में 0.59 लाख रुपये वसूल कर लिये थे। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को अक्टूबर 1999 एव फरवरी 2000 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

(ii) अप्रैल 1997 से पूर्व पंजीकृत कृषि के ट्रेक्टरों से खेंची जाने वाले ट्रेलर्स के सम्बन्ध में एक अप्रैल या 30 अप्रैल 1997 से पहले एक बारीय कर देय है।

चित्तौड़गढ़, जयपुर एवं राजसमन्द में पाया गया (जून 1999 एवं अगस्त 1999 के मध्य) कि 1 अप्रैल 1997 से पूर्व पंजीकृत 402 कृषि के ट्रेक्टर्स के द्वारा खेंची जाने वाले ट्रेलर्स के सम्बन्ध में उनके स्वामियों द्वारा 4.19 लाख रुपये एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया। कराधान अधिकारियों द्वारा भी एक बारीय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई (जुलाई 1999 एवं सितम्बर 1999 के मध्य) एवं सरकार को सूचित किया गया (अक्टूबर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर 2000)।

3.5 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अथवा जहाँ समय सारिणी निर्धारित नहीं है, प्रादेशित परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित स्कोप के अनुसार माह के दौरान तय की जाने वाली सम्पूर्ण दूरी के लिए निर्धारित दरों से भुगतान देय है। विशेष पथ कर पर 31 मार्च 1997 तक 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय है। विशेष पथ कर मार्च 1997 तक प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात सातवें दिन तक देय था तथा इसके पश्चात अग्रिम रूप में प्रत्येक माह के सातवें दिन तक देय है। वाहन स्वामी को निर्धारित अवधि में एक विवरणी कोषालय में जमा कराई गई कर की राशि की रसीद सहित प्रस्तुत करनी चाहिये।

7 कराधान कार्यालयों की 46 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में कुल 27.89 लाख रुपये का विशेष पथ कर की अवसूल/कम वसूल किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	अवधि	विशेष पथ कर की अवसूली/ कम वसूली (लाख रुपयों में)
1.	अजमेर, चूरू, जयपुर और करौली	विभिन्न मार्ग	36	मई 1993 एवं मार्च 1999 के मध्य	22.38
अनियमितता की प्रकृति:-मंजिली वाहन के स्वामियों ने विशेष पथ कर या तो जमा नहीं कराया या गलत दरों से जमा कराया।					
2.	धौलपुर	बाड़ी-खेड़ागढ़	1	10 अक्टूबर 1992 से 11 नवम्बर 1996	1.32
अनियमितता की प्रकृति:-कराधान अधिकारी ने प्रति दिन दो वापसी सेवाओं के स्थान पर एक वापसी सेवा के आधार पर गलत गणना की।					
3.	झुन्झुनू	फतेहपुर-उदयपुरवाटी खण्डेला एकीकृत मार्ग	5	सितम्बर 1987 एवं मार्च 1997 के मध्य	1.79
अनियमितता की प्रकृति:-कराधान अधिकारी ने विशेष पथ कर का निर्धारण करते समय मार्ग की दूरी, 95 किलोमीटर के स्थान पर 74 किलोमीटर गलत मानी।					
4.	धौलपुर	बाड़ी-सरमथुरा	1	11 फरवरी 1994 से 31 मार्च 1999	1.24
अनियमितता की प्रकृति:-वाहन के स्वामी ने 11 फरवरी 1994 से 31 मार्च 1997 की अवधि के लिए न तो कोई कर चुकाया और न ही विवरणी प्रस्तुत की और मार्च 1999 तक कोई कर निर्धारण नहीं किया। अप्रैल 1997 से मार्च 1999 तक की अवधि के लिए कर की वास्तविक राशि 0.95 लाख रुपये के विरूद्ध 0.65 लाख रुपये जमा कराये।					
5.	कोटपुतली	पावटा-मेड़-प्रतापगढ़	3	अप्रैल 1997 एवं मार्च 1999 के मध्य	1.16
अनियमितता की प्रकृति:-इस मार्ग पर संचालित वाहनों के स्वामियों ने 53 किलोमीटर के स्थान पर 43 किलोमीटर की दूरी के लिए विशेष पथ कर जमा कराया।					
	योग		46		27.89

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1999 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य), विभाग/सरकार ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि अजमेर (5) एवं झुन्झुनू (2) के 7 वाहनों से राशि रुपये 2.52 लाख रुपये वसूल कर लिए गये हैं अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है।

3.6 संविदा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान, अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर मासिक अग्रिम रूप से प्रत्येक माह के 7 वें दिन या इससे पूर्व देय है, तथा वाहन स्वामी को कर की जमा कराई गई राशि की कोष कार्यालय की रसीद सहित प्रत्येक माह के 14 वें दिन या इससे पूर्व एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

4 कराधान कार्यालयों* में यह पाया गया (मई 1999 एवं फरवरी 2000 के मध्य) कि अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञापत्र/सम्पूर्ण राजस्थान संविदा वाहन अनुज्ञापत्र पर संचालित 38 वाहनों के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा विशेष पथ कर या तो जमा नहीं कराया गया या कम जमा कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1997 एवं मार्च 1999 के मध्य की अवधि के लिए कुल 25.24 लाख रुपये विशेष पथ कर अवसूल/कम वसूल हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य) विभाग/सरकार ने बतलाया (नवम्बर 1999 एवं सितम्बर 2000) कि 13 वाहनों के सम्बन्ध में राशि रुपये 6.20 लाख वसूल कर लिए गये थे। शेष 31 वाहनों के सम्बन्ध में वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

3.7 निजी सेवा वाहनों के सम्बन्ध में कर की अवसूली

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत "निजी सेवा वाहन" का अर्थ है एक ऐसा मोटर वाहन जिसका उपयोग स्वयं स्वामी द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके व्यापार अथवा व्यवसाय के सम्बन्ध में, किराये अथवा प्रतिफल के अन्यथा, व्यक्तियों को ले जाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता हो, किन्तु इसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले मोटर वाहन शामिल नहीं है।

* अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और सीकर।

ऐसे निजी सेवा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर देय है। विशेष पथ कर की दरें 1 अप्रैल 1997 से संशोधित की गयी थी।

5 कराधान कार्यालयों* में यह पाया गया (मार्च 1999 एवं सितम्बर 1999 के मध्य) कि अप्रैल 1992 एवं मार्च 1999 की अवधि के लिए 116 निजी सेवा वाहनों के सम्बन्ध में कुल 18.41 लाख रुपये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर के जमा नहीं कराये गये।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1999 एवं नवम्बर 1999 के मध्य) विभाग/सरकार ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि 19 वाहनों के सम्बन्ध में राशि रुपये 1.79 लाख वसूल किये जा चुके है। शेष वाहनों के सम्बन्ध में वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

3.8 बकाया आपराधिक चालानों का न्यायालय में प्रस्तुत न करना

सभी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारियों एवं जिला परिवहन अधिकारियों को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (पी. एण्ड डी.) ने निर्देश दिये (जनवरी 1998) कि मोटर वाहनों के बनाये गये अपराधिक चालानों का छः माह के अन्दर निपटान कर दिया जाना चाहिए और जिन चालानों का निपटान नहीं किया जा सकता हो, को छः माह की अवधि व्यतीत होने से पूर्व नियमानुसार निपटान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।

चार जिलों (अलवर, चित्तोड़गढ़, हनुमानगढ़ और कोटा) में संचालित वाहनों के अधिक भार, बिना अनुज्ञापत्र/फिटनेस प्रमाण-पत्र और अनुज्ञापत्र की शर्तों के खण्डन आदि के 1025 अपराधों के लिए 691 चालान जारी किये गये। जिनसे अपराधों के लिए राशि रुपये 14.88 लाख प्रशमन शुल्क वसूलनीय थी, छः माह से अधिक समय से बकाया थे, किन्तु निपटाने के लिए न्यायालय में पेश नहीं किये गये।

त्रुटि विभाग/सरकार के ध्यान में लायी गई (जुलाई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।

* प्रा.प.प्रा. अलवर, बीकानेर और उदयपुर
जि.प.अ. भरतपुर और भीलवाड़ा।

3.9 व्यापारिक प्रमाण-पत्रों पर कर/शुल्क की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951, सपठित केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989, के अन्तर्गत मोटर वाहनों के निर्माता या व्यवसायी को पंजीयन प्राधिकार से जिसके क्षेत्राधिकार में व्यवसाय करता है से वांच्छित वार्षिक कर/ शुल्क चुका कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत व्यवसाई में व्यक्ति जो मोटर वाहनों के निर्माण या चेसिस के उपर बॉडी निर्माण के कार्य में है या बन्धक के व्यापार में, पट्टे या मोटर वाहनों के किश्तों में खरीद के लिये लगा हुआ है शामिल है।

अलवर एवं भरतपुर में पाया गया (मई एवं जुलाई 1999) कि व्यापारिक प्रमाण-पत्र धारी 52 व्यवसायियों ने अप्रैल 1997 से मार्च 1999 तक की अवधि में उनके द्वारा विक्रय किये गये वाहनों के सम्बन्ध में कुल 1.96 लाख रुपये कर एवं शुल्क के जमा नहीं कराये।

लेखापरीक्षा में जुलाई और अगस्त 1999 में ध्यान दिलाये जाने पर कराधान अधिकारी, अलवर ने सूचित किया (मार्च 2000) कि 12 व्यापारियों से राशि रुपये 0.47 लाख वसूल कर लिये गये है। शेष व्यापारियों से वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित किया गया (अक्टूबर 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

अध्याय-4: भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 में लेखापरीक्षा के दौरान भू-राजस्व अभिलेखों की नमूना जांच में 5351 मामलों में 22843.41 लाख रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि आदि का पता लगा जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1	प्रीमियम और किराये की अवसूली	59	327.87
2.	भूमि के पूँजीगत मूल्य की अवसूली	430	73.96
3.	सिंचित क्षेत्र में भू-आवंटन पर प्रीमियम की कम वसूली	432	266.26
4.	अधिभार की मांग कायम नहीं करना	49	3.10
5.	अतिचार के मामलों में शास्ति की मांग कायम न करना	249	86.35
6.	बढ़े हुए भू-राजस्व की मांग कायमी नहीं करना	19	3.25
7.	राजस्थान की कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन अधिग्रहित भूमि के मूल्य की मांग कायम नहीं करना।	1	2.98
8.	रूपांतरण प्रभारों, शास्ति और भूमि की कीमत की अवसूली	2591	5576.55
9.	कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु आवंटन रूपान्तरण तथा नियमितिकरण	-	12594.65
10.	अन्य अनियमितताएं	1521	3908.44
	कुल	5351	22843.41

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 908 मामलों में, जिनमें 87.35 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिनमें से 619 मामलों में जिनमें 50.52 लाख रुपये की वसूली थी, जो कि पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे। कुछ निदर्शी मामले तथा कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु आवंटन, रूपान्तरण तथा नियमितिकरण पर समीक्षा के परिणाम जिनमें 12692.36 लाख रुपये अन्तर्निहित हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

4.2 कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिए आवंटन, रूपान्तरण और नियमितिकरण

4.2.1 प्रस्तावना

कृषि भूमि का (राजकीय और खातेदारी भूमि)* अकृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम) और उसके अधीन विरचित समय समय पर संशोधित नियमों, और जारी की गयी अधिसूचनाओं से नियंत्रित होता है। चारागाह एवं सिंचित सरकारी भूमि के अलावा, जहाँ सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, कृषि भूमि को अकृषि उपयोग हेतु आवंटन का अधिकार कलेक्टर के पास होता है। आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण के मामलों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनाधिकृत कब्जों को नियमित किया जाता है अन्य मामलों में नियमितिकरण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। अनाधिकृत कब्जे या अनाधिकृत उपयोग एवं कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के मामलों में तहसील कार्यालय को अनाधिकृत कब्जाधारियों के बेदखली हेतु या सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक शुल्क जैसे विकास प्रभार, रूपान्तरण शुल्क एवं भूमि का मूल्य इत्यादि के भुगतान पर उनको नियमित किया जा सकता है।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

कृषि भूमि का अकृषि कार्यों के लिए आवंटन, रूपान्तरण या नियमितिकरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय प्रारंभिक इकाई जहाँ भूमि अभिलेखों का संधारण होता है, जिसका प्रधान तहसीलदार होता है, के द्वारा आरम्भ की जाती हैं तहसीलदार जिला कलेक्टरों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं, जबकि कलेक्टर पर प्राधिकार और नियंत्रण राजस्व मंडल का होता है। प्रशासनिक विभाग की शक्तियाँ सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। निदेशक, भूमि रूपान्तरण के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जिनकी सहायता हेतु अधिकृत अधिकारी होते हैं जो आवासीय एवं व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि रूपान्तरण का कार्य देखते हैं।

4.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

सरकारी और खातेदारी कृषि भूमि के अकृषि उद्देश्यों हेतु किये गये अनाधिकृत उपयोग को पकड़ने एवं नियंत्रित करने और विहित प्रभार का निर्धारण और वसूली करने के लिए निर्धारित पद्धति और प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 45 तहसील कार्यालयों (241 में से) और 23 भूमि रूपान्तरण कार्यालयों (36 में से) के 1994-95 से 1998-99 की अवधि की

* किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि जिस पर उसे सरकार से अभिधारण अधिकार प्राप्त है खातेदारी भूमि कहलाती हैं

प्रारम्भिक जाँच, सितम्बर 1999 से मई 2000 तक की गयी और समीक्षा अन्य कार्यालयों की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख आगमी अनुच्छेदों में किया गया है।

4.2.4 मुख्य मुख्य बिन्दु

8 स्थानीय निकायों द्वारा 4,25,98,389 वर्ग गज खातेदारी भूमि की अवाप्ति/क्रय पर 6823.49 लाख रुपये के रूपान्तरण शुल्क की अवसूली के कारण राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.2.8)

19 कार्यालयों के कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के 4846 मामले जिनमें भूमि की कीमत, रूपान्तरण शुल्क शास्ति एवं मुद्रांक कर के रूप में 2654.42 लाख रुपयों का राजस्व अन्तर्निहित था, सम्पूरित नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 4.2.9(I)(अ)(i)}

2556 मामलों में कृषि भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माण जिस पर भूमि की कीमत के 385.94 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, को ध्वस्त नहीं किया गया।

{अनुच्छेद 4.2.9(I)(ब)}

7 तहसीलों में, 2,05,891.91 वर्ग गज की शासकीय कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर सरकार विकास शुल्क, भूमि की कीमत एवं पट्टा किराया के रूप में 530.27 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी।

{अनुच्छेद 4.2.9(iii)(ब)}

8 तहसीलों में, औद्योगिक प्रयोजन हेतु 3,73,504.69 वर्ग गज खातेदारी भूमि के संबंध में 823.84 लाख रुपये के विकास शुल्क की कम वसूली/ अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.12)

2 तहसीलों में होटल प्रयोजन हेतु 2,05,693.50 वर्ग गज की कृषि भूमि के गलत आवंटन के कारण सरकार विकास शुल्क के रूप में 613.64 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 4.2.13)

8 तहसीलों में प्रीमियम एवं पट्टा किराये की 311.53 लाख रुपये की मांगें न तो निर्धारित की गयी ना ही कायम की गयी।

(अनुच्छेद 4.2.14)

4.2.5 लक्ष्य एवं परिलब्धियाँ

31 मार्च 1997 के पूर्व के वर्षों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि भूमि रूपान्तरण विभाग में पिछले 2 वर्षों के अन्तर्गत मार्च 1999 के अंत में राजस्व वसूली के संबंध में लक्ष्य एवं परिलब्धियों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लक्ष्य	परिलब्धियाँ	परिलब्धियों का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1997-98	833.00	414.68	50
1998-99	835.00	493.94	59

मार्च 1999 के अंत में समाप्त पिछले 2 वर्षों की उपलब्धि का प्रतिशत केवल 50 एवं 59 था।

4.2.6 बकाया अनिर्णित वसूली

31 मार्च 1999 को कृषि भूमि के अकृषि उपयोग पर 535.79 लाख रुपये (आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के अलावा) और 124.25 लाख रुपये आवासीय एवं वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि के रूपान्तरण की वसूली बकाया थी। 535.79 लाख रुपये का वर्ष अनुसार बकाया की स्थिति राजस्व मंडल के पास उपलब्ध नहीं थी।

4.2.7 बकाया प्रार्थनापत्र

राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय और व्यवसायिक उपयोगों के लिए आवंटन, रूपान्तरण एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 (रूपान्तरण नियम 1981) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी को कृषि भूमि के आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के 90 दिनों में अंतिम निर्णय करना होता है।

मार्च 1999 के अंत के पूर्व के 2 वर्षों में आवेदन पत्र प्राप्त होने उनका निस्तारण एवं बकाया की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	वर्ष के अंतर्गत प्राप्त	कुल	निस्तारण	शेष	निस्तारण का प्रतिशत
1997-98	69,130	14,956	84,086	9,526	74,560	11
1998-99	74,560	7,000	81,560	12,462	69,098	15

उपरोक्त विवरण से यह पता लगता है कि (i) मार्च 1999 के अंत के पूर्व के 2 वर्षों के मध्य निस्तारण का प्रतिशत 11 से 15 के बीच था (ii) विभाग के पास मार्च 1997 के अंत से 3 वर्ष तक के बकाया का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं था। (iii) अप्रैल 1997 तक 69,130 मामलों के बकाया का वर्षवार विश्लेषण उपलब्ध नहीं था और (iv) बकाया के कारणों की कोई सूचना नहीं दी गयी। भूमि रूपान्तरण विभाग के पास 90 दिनों के अंदर और 90 दिनों के बाद किये गये निस्तारण का विवरण भी उपलब्ध नहीं था।

4.2.8 स्थानीय निकायों से रूपान्तरण शुल्क की अवसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कृषि भूमि, अकृषि उपयोगों के लिए काम में नहीं ली जा सकती हैं रूपान्तरण नियम 1981 के अंतर्गत, पूँजीगत मूल्य के अलावा निर्धारित दरों के अनुसार रूपान्तरण शुल्क देय होगा।

यह देखा गया कि 4,25,98,389 वर्ग गज खातेदारी कृषि भूमि नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.), जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) और राजस्थान आवासन मंडल (आर.एच.बी.) द्वारा फरवरी 1994 और जुलाई 1999 के मध्य विभिन्न आवासीय परियाजनाओं हेतु अवाप्त/खरीदी गयी। तथापि, संबंधित तहसीलों के जिलाधीशों द्वारा न तो रूपान्तरण शुल्क का निर्धारण किया गया और ना ही वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप 6823.49 लाख रुपये की अवसूली हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	भूमि अवाप्त करने वाली संस्था का नाम	योजनाओं की संख्या	के मध्य भूमि अवाप्त की गयी	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गजों में)	रूपान्तरण शुल्क (लाख रुपयों में)
1.	यू.आई.टी., भीलवाड़ा	5	सितम्बर 1992 और अगस्त 1994	69,11,218	829.34
2.	यू.आई.टी., गिर्वा	6	जून 1996 और अक्टूबर 1997	1,04,18,622	1025.36
3.	यू.आई.टी., अलवर	17	जनवरी 1993 और मई 1999	1,12,18,263	2236.49
4.	यू.आई.टी., अजमेर	16	मई 1991 और जुलाई 1999	99,90,311	2233.82
5.	यू.आई.टी., गंगानगर	2	सितम्बर 1989 और सितम्बर 1991	2,11,525	35.88

क्र. सं.	भूमि अवाप्त करने वाली संस्था का नाम	योजनाओं की संख्या	के मध्य भूमि अवाप्त की गयी	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गजों में)	रूपान्तरण शुल्क (लाख रुपयों में)
6.	जे.डी.ए., जयपुर	1	1986 और 1991	31,10,668	373.28
7.	आर.एच.बी., कोटा	1	1988 और 1992 (खरीदी हुई)	5,44,182	68.02
8.	आर.एच.बी., राजसमेद	1	फरवरी 1994 (म्युनिसपेल्टी द्वारा आवंटित)	1,93,600	21.30
कुल				4,25,98,389	6823.49

यह बतलाये जाने पर विभाग/सरकार ने कहा (जून 1998 और जुलाई 1999 के मध्य) कि रूपान्तरण शुल्क वसूलनीय नहीं है क्योंकि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया था जिस हेतु उसे अवाप्त किया गया था। विभाग एवं सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कृषि भूमि आवासीय उपयोग के लिए अवाप्त की गयी थी और ऐसे सभी मामलों में जहाँ कृषि भूमि अकृषि कार्यों में उपयोग में ली गई हो रूपान्तरण शुल्क देय है।

4.2.9 बेदखली नहीं किये जाने से राजस्व की हानि

(i) भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसके पास बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कृषि भूमि है वह अतिचारी है और उसे उस भूमि पर से बेदखल किया जा सकता है। यद्यपि, अगर ऐसे अतिक्रमण को सरकार द्वारा नियमित किया जाता है तो अधिभोक्ता द्वारा निर्धारित देय जमा कराना आवश्यक है।

(अ)(i) 19 कार्यालयों* में, 4846 मामले 15,14,929 वर्ग गज माप की कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के 1980 और 1999 के मध्य पंजीकृत किये गये नियमन के लिये बकाया थे। इसमें भूमि की कीमत, रूपान्तरण शुल्क, शास्ति एवं मुद्रांक कर के रूप में 2654.42 लाख रुपये की राशि अन्तर्निहित थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1996 और मई 2000 के मध्य) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1996 और दिसम्बर 1999 के मध्य) कि 1316 मामलों में नियमितिकरण/बेदखली की कार्यवाही विचारार्थ थी और बकाया 20

* अलवर, आसीन्द, अजमेर, बांसवाड़ा भरतपुर, बूँदी, बांरा, दौसा, डूँगरपुर, गंगानगर, झालावाड़, जालौर, जोधुपर, कोटा-I, II, नाथद्वारा, रामगंज मंडी, सिरोही और टौंक।

मामलों में नोटिस जारी किये जा चुके थे। 12 कार्यालयों[1] के 3510 मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) उदयपुर में यह देखा गया कि 3 तहसीलों (गिरवा, सरारा और बल्लभ नगर) में 193 बीघा, 8 बिस्वा माप की सरकारी भूमि 1971 और 1990 के मध्य अनाधिकृत कब्जे (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज प्राइवेट लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और आर.एस.ई.बी.) में थी। इन मामलों में नियमितिकरण के कुल 15.11 लाख रुपये, राजस्व के सम्मिलित थे, यद्यपि ये मामले जिलाधीश, उदयपुर के पास 4 से 18 वर्षों से लम्बित थे।

(ब) 11 विधिक अधिकारियों[2] के अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया कि 1984 और 1999 के मध्य में सरकारी ओर खातेदारी भूमि पर 2556 मामलों में बने हुए अनाधिकृत निर्माण को तोड़ना/खाली करने का निर्णय लिया गया। इन सभी मामलों में कुल 385.94 लाख रुपये की भूमि की कीमत सम्मिलित थी। इन मामलों को सम्बन्धित तहसीलदार के पास आगे की कार्यवाही करने के लिए भेजा गया था। यद्यपि, 1 से 15 वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी किसी अनाधिकृत निर्माण को गिराया नहीं गया। इन सभी मामलों के अलावा उदयपुर के 548 मामले जिनमें 48.39 लाख रुपये अन्तर्निहित थे और हनुमानगढ़ के 291 मामले ना तो विधिक अधिकारियों के कार्यालयों में और ना ही तहसील कार्यालयों में पाये गये।

त्रुटि को विभाग के ध्यान में (अक्टूबर 1997 और अप्रैल 2000 के मध्य) लाया गया, लेकिन उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) 2 अगस्त 1984 की अधिसूचना के अंतर्गत राजकीय भूमि के राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को आवंटन करने पर बाजार दर से भूमि की कीमत, और 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किराये की वसूली की जावेगी।

6 तहसीलों[3] में 52 बीघा[4] और 17 बिसवांसी[5] माप की सरकारी कृषि भूमि का राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सम्बन्धित कलेक्टर से बिना किसी नियमित आवंटन के ग्रिड सब स्टेशन और क्वाटर्स बनाने के लिए अधिकृत (1966 और 1996 के मध्य) कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप 88.93 लाख रुपयों के 1966-67 से 1998-99 के मध्य के वर्षों की अधिशुल्क एवं पट्टा किराया की अवसूली हुई।

---

[1] आसीन्द, अजमेर, बांरा, बूँदी, डूँगरपुर, गंगानगर, जोधुपर, कोटा-I, II, नाथद्वारा, सिरोही और टौंक।

[2] भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालौर, कोटा, राजसमन्द, टौंक और उदयपुर-I, II ।

[3] चिड़ावा, गिर्वा, खेतड़ी, कोटपूतली, निवाई और शाहपुरा।

[4] बीघा भूमि के माप की एक ईकाई है जिसमें 3025 वर्ग गज होते है।

[5] बिसवांसी भूमि के माप की एक ईकाई है जो बीघा के 1/20 भाग को बताती है।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1996 और जनवरी 2000 के मध्य) विभाग ने तहसील खेतड़ी और गिर्वा के बारे में कहा कि (मार्च 2000 और जुलाई 2000) दिनांक 18 सितम्बर 1999 की अधिसूचना के अनुसार आवंटन निशुल्क किया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा सरकारी भूमि का अनाधिकृत अधिग्रहण दिनांक 18 सितम्बर 1999 की अधिसूचना से पूर्व 1973 और 1993 के दौरान किया गया था। बकाया तहसीलों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

(iii) आवंटन नियम, 1959 के अंतर्गत कृषि भूमि को रीको और व्यक्तियों को, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु या उद्योग धंधे लगाने हेतु आवंटन करने पर भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर पर तथा विकास प्रभार वसूलनीय है।

(अ) 3 तहसीलों में 5,03,389.06 वर्ग मीटर राजकीय कृषि भूमि रीको द्वारा बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति/आवंटन के औद्योगिक प्रयोजनार्थ अधिकृत (1995 और 1996 के मध्य) की गयी। तथापि, विभाग द्वारा ना तो कब्जा हटाने के लिए और ना ही इसके नियमितिकरण के लिए कोई कार्यवाही की गई। 67.13 लाख रुपये कीमत की भूमि इसमें अन्तर्ग्रस्त थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	तहसील का नाम	में अधिकृत की गयी	भूमि का क्षेत्र (बीघा में)	जगह जहाँ भूमि अवस्थित है	भूमि की कीमत (लाख रुपयों में)
1.	आमेर	जून 1996	13-10	कूकस	54.00
2.	बहरोड़	जून 1995	3-17-10	जेनपुरवास	3.10
3.	इन्द्रगढ़	1995-96 से पहले	100-05-0	इन्द्रगढ़	10.03
	कुल		117-12-0		67.13

विभाग के ध्यान में त्रुटि (सितम्बर 1996 और नवम्बर 1998 के मध्य) लाई गयी थी उनका अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ब) 7 तहसीलों* में 2,05,891.91 वर्ग मीटर माप की खातेदारी और सरकारी कृषि भूमि 13 व्यक्तियों और एक कम्पनी (राजस्थान खान एवं खनिज प्राइवेट लिमिटेड) ने अनाधिकृत रूप से ओद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु अधिकृत की। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग ने कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। 31 मार्च 1999 तक भूमि की कीमत,

* अजमेर, ब्यावर, बहरोड़, बूँदी, गिर्वा, राजसमंद और सीकर।

विकास प्रभार और वार्षिक पट्टा किराये के रूप में कुल 530.27 लाख रुपये की राशि सम्मिलित पायी गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अगस्त 1995 और नवम्बर 1999 के मध्य) विभाग ने बताया (जनवरी 1999 और अप्रैल 2000 के मध्य) कि (i) तहसीलदारों (अजमेर एवं राजसमंद) द्वारा बेदखली के आदेश जारी कर दिये गये हैं, (ii) जिलाधीश सीकर और ब्यावर को मामला आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया है और (iii) आर.एस.एम.एम. ने बार बार के प्रयासों के बाद भी आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया था (गिर्वा)। इन मामलों में आगे की कार्यवाही और बकाया मामलों में तहसीलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे।

(iv) सरकार के 2 मार्च 1987 के परिपत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी कृषि भूमि को विभागों, कार्यालयों, निगमों एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों को आवंटित करने पर उनसे प्रचलित बाजार दर पर भूमि की कीमत, निर्धारित दर पर रूपान्तरण शुल्क और स्वीकृत लगान का 40 गुना पूंजीगत मूल्य की वसूली की जावेगी।

मालपुरा तहसील में 119 बीघा और 18 बिस्वा माप की सरकारी कृषि भूमि केन्द्रीय भेड़ व ऊन संस्थान के पास अवैध कब्जे (1997 से पहले) में थी। तथापि, विभाग द्वारा ना तो बेदखली या आवंटन/नियमितिकरण के द्वारा भूमि की कीमत 47.96 लाख रुपये की वसूली के लिए कोई प्रयास किये गये।

त्रुटि की ओर विभाग का ध्यान अक्टूबर 1999 में दिलाया गया, उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4.2.10 प्रतिबन्ध एवं शर्तों का उल्लंघन

आवंटन नियम 1959, के अंतर्गत, अगर रीको को आवंटित कोई भूमि जिस उद्देश्य हेतु उसका आवंटन किया गया है उस हेतु उपयोग में नहीं ली जाती है तो वह सरकार के अधीन होगी। रूपान्तरण नियम 1981 के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से विशेष अकृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि को आवासीय या व्यवसायिक उद्देश्य हेतु रूपान्तरित या नियमित करने की अनुमति नहीं है। तथापि, दिनांक 23 अप्रैल 1997 के परिपत्र के अंतर्गत सरकार भूमि के रूपान्तरण/नियमितिकरण पर विचार कर सकती हैं उस स्थिति में, निर्धारित दर पर रूपान्तरण शुल्क और अन्य बकाया सरकार को देय है।

लाडपुरा तहसील में 35.03 हेक्टेयर (3,18,969.02 वर्ग गज) माप की सरकारी कृषि भूमि पहले मैसर्स इन्सट्रुमेन्टेसन लिमिटेड, कोटा को आवंटित की गयी, को रीको को इस शर्त पर सरकार की अनुमति से स्थनान्तरित (जनवरी 1992) किया गया कि स्थनान्तरित भूमि केवल औद्योगिक उपयोग में ही ली जावेगी। तथापि

1995 में यह आवासीय उपयोग (इंदिरा विहार कॉलोनी) में ली गयी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आवंटन नियम 1959 के अंतर्गत रीको से भूमि की दावेदारी वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया या सरकार ने रूपान्तरण नियम 1981 के अंतर्गत नियमित किया गया जिससे सरकार 87.98 लाख रुपये रूपान्तरण शुल्क और शास्ति से वंचित रही।

त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गयी (अप्रैल 1996 और मार्च 2000 के मध्य), उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

4.2.11 बकाया की कम/अवसूली

(i) औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959, के अंतर्गत, सरकारी कृषि भूमि का, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित और विकसित करने हेतु, आवंटन करने पर, वार्षिक पट्टा किराये के साथ कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि की बाजार दर (6 दिसम्बर 1996 से आधी दर पर) के बराबर अधिशुल्क देय है।

दो तहसीलों (बहरोड़ और निवाई) में, 93 बीघा 6 बिस्वा माप की सरकारी कृषि भूमि का आवंटन (नवम्बर 1996 और मार्च 1997) रीको को ओद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया है कि अधिशुल्क न तो निर्धारित किया गया और ना ही वसूल किया गया। तथापि, जिला स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार भूमि की कीमत 74.39 लाख रुपये थी।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1997 और अक्टूबर 1998 के मध्य) विभाग ने बताया (फरवरी 1999 और जून 2000) कि बहरोड़ के मामले में बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिये गये हैं और निवाई का मामला कलेक्टर को भिजवा दिया गया है। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

(ii) राजस्थान भू-राजस्व (विद्यालयों, महाविद्यालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं और अन्य जन उपयोगी भवनों के लिए खाली सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 और 16 फरवरी 1995 की अधिसूचना के अंतर्गत, गैर सरकारी संस्थानों को जन उपयोग हेतु कृषि भूमि का आवंटन करने पर भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर के 75 प्रतिशत (सरकारी भूमि के मामले में) और प्रचलित दर पर रूपान्तरण शुल्क (खातेदारी भूमि के मामलें में) वसूल किया जावेगा।

4 तहसीलों (डूँगरपुर, गंगधार, सांचोर और सिरोही) में 29.19 बीघा माप की सरकारी कृषि भूमि या तो गलत दर पर या बिना किसी कीमत के संबंधित कलेक्टरों द्वारा निजी स्कूलों, धमार्थ संस्थान धर्मशाला इत्यादि जैसे कि राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित डूँगरपुर पब्लिक स्कूल, जैन श्वेताम्बर पारसनाथ तीर्थ पेरी, राजपूत संस्था ट्रस्ट की धर्मशाला और महावीर

प्रतिष्ठान द्वारा संचालित महावीर पब्लिक स्कूल को आवंटित (1996-97 और 1998-99 के मध्य) की गयी। इसके परिणामस्वरूप 11.51 लाख रुपयों की अधिशुल्क और रूपान्तरण शुल्क की कम/अवसूली हुई।

त्रुटि विभाग को सूचित (सितम्बर 1999 और फरवरी 2000) की गयी, अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) 4 कार्यालयों में, कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरित करने के आदेशों के बाद या तो व्यवसायिक उपयोगों में काम ली गयी या फिर रूपान्तरण शुल्क व्यवसायिक दर के स्थान पर आंशिक आवासीय और आंशिक व्यवसायिक दर पर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप 34 मामलों में 18.61 लाख रुपये की कम वसूली हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जगह का नाम	मामलों की संख्या	निर्णय की दिनांक	(लाख रुपयों में)		
				वसूलनीय	वसूल किया	कम/अवसूली
1.	अलवर	30	अगस्त 1996	6.60	0.06	6.54
टिप्पणी:-राशि का निर्धारण सहायक जिलाधीश द्वारा किया गया और मामलों को तहसीलदार को वसूली के लिए भेजा (1996) गया परन्तु वसूली नहीं हुई।						
2.	अजमेर	1	जुलाई 1999	5.78	1.29	4.49
टिप्पणी:-रूपान्तरण शुल्क 7.50 प्रति वर्ग मीटर पेरीफेरी गांव की दर से वसूल न करके, ग्रामीण क्षेत्र की दर से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से वसूल किया गया।						
3.	जालोर	2	मई 1997 और जुलाई 1997 के मध्य	5.32	1.24	4.08
टिप्पणी:-व्यवसायिक उपयोग (एक मामला) के बजाये आवासीय उपयोग पर रूपान्तरित किया गया और गलत प्रावधान (1 मामला) के अंतर्गत।						
4.	खेतड़ी	1	मई 1998	3.66	0.16	3.50
टिप्पणी:-18500 वर्ग मीटर कृषि भूमि का पट्टा व्यवसायिक उपयोगों हेतु जारी किया परन्तु रूपान्तरण शुल्क 2000 वर्ग मीटर के जमा किये गये।						
	योग	34		21.60	2.75	18.61

(iv) कलेक्टर (बांरा) ने अप्रैल 1989 के आदेश द्वारा 63 बीघा 18 बिस्वा (1,23,710.4 वर्ग गज) माप की भूमि राजस्थान आवासन मंडल को 18 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से आवंटित की। तथापि, मंडल ने 22.27 लाख रुपये के बजाये केवल 2.56 लाख रुपये ही अदा किये जिसके परिणामस्वरूप 19.71 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

4.2.12 विकास प्रभारों की कम/अवसूली

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण) नियम, 1961 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व (ओद्योगिक क्षेत्र आवंटन), नियम, 1959 के अंतर्गत औद्योगिक उपयोगों हेतु पट्टाधारण के आधार पर भूमि का आवंटन किये जाने पर पट्टाधारक से प्रिमीयम विकास प्रभारों के रूप में निर्धारित दरों पर वसूलनीय है जो उस कस्बे या नगर जहाँ पर वह भूमि अवस्थित है की जनसंख्या पर आधारित होता है। दिनांक 14 अप्रैल 1988 को एक अधिसूचना जारी करके 1959 के नियमों में यह प्रावधान किया कि उन स्थानों पर जहाँ रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है वहां विकास प्रभारों की वसूली रीको द्वारा निर्धारित दर पर ही की जावेगी।

8 तहसीलों* में जहां रीको औद्योगिक क्षेत्र विकास कर रहा था के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया कि 3,73,504.69 वर्ग मीटर माप की खातेदारी भूमि 54 व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित की गयी थी। परन्तु विकास प्रभार 826.41 लाख रुपये वसूल करने के बजाय केवल 2.57 लाख रुपये ही वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप 823.84 लाख रुपये विकास प्रभार के रूप में निम्न विवरणानुसार कम/अवसूल हुए:-

क्र. सं.	तहसील का नाम	आवंटन की दिनांक	मामलों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	विकास प्रभार		
					वसूलनीय	वसूल किये	बकाया
					(लाख रुपयों में)		
1.	मावली	दिसम्बर 1995 एवं मार्च 1998 के मध्य	2	44,088	52.91	0.05	52.86
2.	जोधपुर	जनवरी 1999	1	12,140.18	36.42	0.03	36.39
3.	गिर्वा	मई 1994 और सितम्बर 1999 के मध्य	31	2,43,780	642.67	0.34	642.33
4.	निवाई	फरवरी 1997 और अगस्त 1997 के मध्य	2	1990	4.98	-	4.98
5.	धोलपुर	मार्च 1997	1	2360	2.36	-	2.36
6.	अलवर	दिसम्बर 1994 और दिसम्बर 1998 के मध्य	5	17,263	21.82	0.88	20.94
7.	किशनगढ़	जून 1993 और मार्च 1997 के मध्य	6	26225.51	54.99	1.27	53.72
8.	भीनमाल	अप्रैल 1988 और मार्च 1989 के मध्य	6	25658	10.26	-	10.26
		योग	**54**	**373504.69**	**826.41**	**2.57**	**823.84**

* अलवर, भीनमाल, धोलपुर, गिर्वा, जोधपुर, किशनगढ़, मावली और निवाई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर तहसीलदार भीनमाल ने कहा (दिसम्बर 1999) कि 5 मामलों में 8.97 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है।

4.2.13 भूमि का गलत आवंटन

सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 को संशोधित (मई 1997) किया जिसमें नगरीय क्षेत्र एवं पेरीफेरी गांवों में स्थित होटलों को पर्यटक इकाई की परिभाषा में शामिल किया गया। इसके अनुसार होटलों को आवंटित भूमि पर रीको द्वारा निर्धारित दरों पर प्रिमीयम, विकास प्रभार के रूप में देय है। पेरीफेरी गांव को रूपान्तरण नियम 1981 में परिभाषित किया गया है कि वह गांव जो नगरीय क्षेत्र या नगरपालिका सीमा, जो भी अधिक हो, के 1 से 5 किलोमीटर के अंदर स्थित है।

दो कार्यालयों में 2,05,693.50 वर्ग मीटर माप की कृषि भूमि का आवंटन जून 1997 और मार्च 2000 के मध्य पेरीफेरी गांव में होटलों के निर्माण के लिए रीको के विकास प्रभारों की दर से, एक मुश्त राशि न लेकर वार्षिक पट्टा किराया के आधार पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप 613.64 लाख रुपये की निम्नानुसार कम/अवसूली हुई:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	आवंटन की दिनांक	क्षेत्र (वर्ग मीटर) और उद्देश्य	जगह का नाम	(लाख रुपयों में)		
					वसूलनीय	वसूल किये	कम वसूले
1.	तहसील जोधुपर	जून 1997	1,15,493.5 (मारवाड़ होटल)	नंद्रा (पेरीफेरी गांव)	346.48	2.59	343.89
2.	कलेक्टर, उदयपुर	नवम्बर 1998 और मार्च 2000 के मध्य	90,200 (होटल और भोजनालय)	हवाला और सीसारमा (पेरीफेरी गांव)	270.60	0.85	269.75
	योग		2,05,693.50		617.08	3.44	613.64
टिप्पणी:-विकास प्रभार रीको की दर के बजाय वार्षिक पट्टा किराया की वसूली कर आवंटन किया गया।							

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान (सितम्बर 1999 और अप्रैल 2000 के मध्य) दिलाये जाने पर, जोधपुर तहसील के बारे में विभाग ने बताया (अक्टूबर 1999) कि गांव जहां पर भूमि स्थित है, वह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वह शहर और कस्बे जहां पर रीको ओद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है वहां पर रीको की विकास प्रभार की दर से वसूली की जावेगी। गांव नंद्रा जोधपुर शहर का पेरीफिरी गांव है जहां पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है और इसलिए वहां पर 1959 के नियमों के प्रावधान लागू होंगे। उदयपुर तहसील से संबंधित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4.2.14 वसूलनीय राशि की मांग कायम नहीं करना

वसूलनीय राशि का निर्धारण करने के बाद, तहसील कार्यालय में संधारित संबंधित रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज किये जाते हैं और उनकी वसूली तहसील कार्यालय द्वारा की जाती है।

8 तहसीलों* में 287 बीघा, 04 बिस्वा, 6 बिस्वांसी माप की कृषि भूमि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को निर्धारित उद्देश्यों के लिए आवंटित (जुलाई 1989 और अप्रैल 1999 के मध्य) की। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 311.53 लाख रुपयों की मांग, अधिशुल्क (118.75 लाख रुपये) और पट्टा किराया के (192.78 लाख रुपये) ना तो निर्धारित की गयी और ना ही कायम की गयी।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1996 और फरवरी 2000 के मध्य) विभाग ने बताया (अगस्त 1999 और फरवरी 2000 के मध्य) कि सवाई माधोपुर, रानीवाड़ा, लाड़पुरा, खानपुर तहसीलों के संबंध में मांग कायम कर दी गयी है और अजमेर और अंता तहसीलों के संबंध में दिनांक 18 सितम्बर 1999 की अधिसूचना के अंतर्गत राशि वसूलनीय नहीं है। अजमेर और अंता तहसीलों के संबंध में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि का आवंटन नवम्बर 1991 और अप्रैल 1998 के मध्य दिनांक 18 सितम्बर 1999 की अधिसूचना जारी होने से पहले किया गया। सवाईमाधोपुर, रानीवाडा, लाडपुरा और खानपुर तहसीलों के संबंध में वसूली की प्रगति और शेष तहसीलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

4.2.15 शास्ती की कम/अवसूली

कृषि भूमि के अवैध आवासीय और व्यवसायिक उपयागों पर रूपान्तरण शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से शास्ति वसूलनीय है।

6 कार्यालयों** में कृषि भूमि के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के 658 मामले जो सितम्बर 1987 और नवम्बर 1998 के मध्य निर्णित किये गये थे, में यद्यपि आवेदनकर्ताओं द्वारा अधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति बिना भूमि का उपयोग/रूपान्तरण किया गया, निर्धारित रूपान्तरण शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से शास्ति या तो आरोपित नहीं की गयी या कम आरोपित की गयी। इसके परिणामस्वरूप शास्ती के 20.19 लाख रुपये कम/अवसूल हुए।

लेखा परीक्षा में त्रुटि बताये जाने (फरवरी 1996 और अप्रैल 2000 के मध्य) पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1998 और सितम्बर 1998 के मध्य) कि सरकार के दिनांक 27 जनवरी 1996 के आदेशानुसार शास्ती देय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है

* अजमेर, अंता, बीकानेर, गंगधार, खानपुर, लाडपुरा, रानीवाडा और सवाईमाधोपुर।

** भीलवाड़ा, जोधुपर, जालोर, सिरोही और उदयपुर I, II।

क्योंकि सभी मामले जनवरी 1996 से पहले के समय के हैं और भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के किया गया अत: शास्ती देय है शेष कार्यालयों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

4.3 जल प्रभारों की अवसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 88 के अनुसार, सभी नदियाँ, जलस्त्रोत, झील और तालाब जो किसी व्यक्ति या संस्था की सम्पत्ति नहीं हैं वह राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं।

गंगाधार (झालावाड़ जिला) में यह देखा गया (जनवरी 1992 और जुलाई 1999) कि रेलवे विभाग ने 1956-57 से छोटी काली सिंध नदी से पानी निकालने के लिए पम्पिंग स्टेशन स्थापित कर रखा था और उससे 2,25,000 लीटर पानी, पीने के उद्देश्य से रोजाना काम में लिया जा रहा था। जल प्रभारों की वसूली हेतु राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1956 से मार्च 1999 तक, 2.40 रुपये प्रति 1000 लीटर की दर से, जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गंगधार गाँव में की जा रही थी, से 84.75 लाख रुपये के जल प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (फरवरी 1992 और सितम्बर 1999) विभाग ने वर्ष 1998-99 के राजस्व लेखों में अप्रैल 1956 से मार्च 1991 तक के समय की 68.99 लाख रुपयों की मांग कायम कर दी है। राजस्व मंडल अजमेर ने भी जिलाधीश को 1991-92 से 1998-99 तक के समय की मांग कायमी के निर्देश दिये हैं (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार के ध्यान (फरवरी 1992 और सितम्बर 1999) में लाया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

4.4 भूमि की कीमत की कम वसूली

राजस्थान उपनिवेदशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975, के अन्तर्गत ऐसी भूमि जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, का आवंटन पात्र व्यक्तियों को समय समय पर अधिसूचित दर पर किया जावेगा। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने अक्टूबर 1988 और जनवरी 1991 में विभिन्न तहसीलों में निश्चित मुरब्बे तथा ऐसी भूमि के विक्रय के लिए वसूली योग्य दर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित, अधिसूचित किया।

उपनिवेशन तहसील नाचना I एवं II (जैसलमेर जिला) में देखा गया (अक्टूबर 1999) कि 14 मामलों में सिंचित भूमि (292.35 बीघा) और असिंचित भूमि (13 बीघा), जो अधिसूचित क्षेत्र में आती थी, का आवंटन मार्च 1995 और दिसम्बर 1998 के मध्य किया गया। इन मामलों में भूमि की कीमत, सरकार द्वारा अधिसूचित दर में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के उपरान्त आने वाली दर से किया जाना था, परन्तु भूमि की कीमत कम दर पर ली गयी। इसके परिणामस्वरूप 9.12 लाख रुपये की कम वसूली हुई जो कि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्यां	आवंटित क्षेत्र (बीघा में)		आवंटन का माह	दर		कम वसूली गयी राशि
			सिंचित	असिंचित		ली जानी थी	ली गयी	
1.	नाचना-I (जैसलमेर)	2	30	10	2 जून 1995 और मार्च 1998	3.84	1.28	2.56
		3	60	-	मार्च 1995 और फरवरी 1997 के मध्य	6.14	4.97	1.17
अभ्युक्तियाँ:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1999), विभाग ने बताया (अगस्त 2000) कि तीन मामलों में राजस्व लेखों में 1.18 लाख रुपये की मांग कायमी कर ली गयी है। यद्यपि, राशि की वसूली की सूचना तथा अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)। मामले को सरकार को भी नवम्बर 1999 में सूचित कर दिया गया था। उनका उत्तर अभी वाँच्छित है (सितम्बर 2000)।								
2.	नाचना-II (जैसलमेर)	5	116.85	3.00	जनवरी 1996 और दिसम्बर 1998 के मध्य	11.87	7.77	4.10
		4	85.50	-		9.87	8.58	1.29
अभ्युक्तियाँ:-सरकार जिसे मामले को सूचित किया गया (नवम्बर 1999) ने बताया (जुलाई और अगस्त 2000) कि राजस्व लेखों में 5.39 लाख रुपयों की मांग कायमी कर दी गयी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।								
	योग	14						9.12

4.5 ब्याज की मांग कायमी नहीं करना

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अंतर्गत नियम 13 क में अंतर्विष्ट सभी किश्तों का भुगतान आवंटियों द्वारा नजदीकी उप कोषालय में जमा करवाया जावेगा। अधिसूचित कीमत का 60 प्रतिशत तीन बराबर किश्तों में वसूल किया जावेगा प्रथम किश्त आने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी को और द्वितीय किश्त पूर्ववर्ती किश्त के छः माह पश्चात देय होगी अन्यथा ऐसी किश्तें जिनका भुगतान

नहीं किया गया है उनके भुगतान के दिनांक तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़-II (जैसलमेर जिला) में, ऐसा देखा गया (दिसम्बर 1999) कि 8 मामलों में आवंटियों द्वारा देर से भुगतान की गयी किश्तों पर ब्याज की मांग कायमी नहीं की गयी। विलम्ब अवधि 13 माह और 55 माह के मध्य थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के 3.84 लाख रुपये वसूल नहीं हुए।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 2000), विभाग ने बताया (अगस्त 2000) कि इन मामलों में तहसीलदार से सूचना मंगवायी जा रही है। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

यह मामला सरकार को भी सूचित किया (जनवरी 2000) गया था तथापि, उनका उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

अध्याय-5: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान लेखापरीक्षा में पंजीयन कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच पर 1220.52 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली के 948 मामलों का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	234	123.18
2.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	421	217.70
3.	अन्य अनियमितताएँ	293	879.64
	योग	948	1220.52

वर्ष 1999-2000 के दौरान, विभाग ने 310 मामलों में, जिनमें 15.76 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, अवधारण स्वीकार किये जिनमें से 17 मामले जिनमें 0.74 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 1999-2000 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 247 मामलों में 13.53 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 17 मामलों में निहित 0.74 लाख रुपये वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 34.70 लाख रुपये अन्तर्निहित हैं, जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

5.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कम वसूली

(i) भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जैसाकि राजस्थान में अनुकूलित) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी विलेख में सम्पत्ति का अवमूल्यांकन लक्षित हो तो उसे कलेक्टर (मुद्रांक) के पास सम्पत्ति की सही कीमत निर्धारित करने हेतु भेजा जावेगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 59 'ख' में प्रावधान है कि सम्पत्ति की बाजार कीमत का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा

अनुशंसित दरों, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अनुमोदित दरों अथवा सूची II में समान सम्पत्ति की दरों में से जो भी उच्चतर हों, केआधार पर किया जावेगा।

पाँच* उप पंजीयक कार्यालयों में पाया गया (सितम्बर 1997 एवं दिसम्बर 1998 के मध्य) कि अचल सम्पत्ति (व्यावसायिक/आवासीय औद्योगिक भूखण्ड एवं कृषि भूमि) हस्तान्तरण के 40 मामलों में सम्पत्ति की कीमत का निर्धारण या तो व्यावसायिक सम्पत्ति के स्थान पर आवासीय दरों से अथवा डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर किया। इन मामलों को उप पंजीयक द्वारा सही कीमत निर्धारण हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को नहीं भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप 24.21 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(लाख रुपयों में)

स्थान का नाम	मामलों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. की दरों के अनुसार सम्पत्ति की बाजार कीमत	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		कम वसूल किया गया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	माह जिसमें दस्तावेज पंजीयन किया गया था
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
हिन्डोन सिटी	2	व्यावसायिक	158.47	31.38	15.85	3.14	1.59	0.32	13.98	जनवरी 1998 एवं फरवरी 1998
टिप्पणी:-इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अगस्त 1999) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि मामला कलेक्टर (मुद्रांक) भरतपुर के न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु पंजीकृत कर लिया है आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है। मामला सरकार को सूचित (दिसम्बर 1999) किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।										
हुरडा	5	कृषि	29.90	14.92	2.15	1.06	0.30	0.15	1.24	जून 1998 से अक्टूबर 1998
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 2000) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि भूमि की कीमत 50,000 रुपये प्रति बीघा की दर से जो उप पंजीयक द्वारा आंकी गयी थी, सही है। विभाग का यह उत्तर सही नहीं है क्योंकि डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरें एक लाख रुपये एवं 1.10 लाख रुपये प्रति बीघा क्रमश: 24 मई 1997 एवं 18 अगस्त 1998 से लागू हैं और उन्हीं के आधार पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वसूलनीय है विभाग को स्थिति से अक्टूबर 2000 में सूचित कर दिया गया है। मामला सरकार को मार्च 2000 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।										
जयपुर-I	13	व्यवसायिक	103.01	43.79	7.20	4.37	1.03	0.62	3.24	जुलाई 1998 से अक्टूबर 1998
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1999) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि मामला कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवाया जा चुका है उसमें से एक मामले में 945 रुपये की वसूली की जा चुकी है बकाया मामलों में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है। मामला सरकार को सूचित (दिसम्बर 1999) किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।										

*हिन्डोन सिटी, हुरडा, जयपुर-I, मसूदा, शाहपुरा और टौंक।

(लाख रुपयों में)

स्थान का नाम	मामलों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. की दरों के अनुसार सम्पत्ति की बाजार कीमत	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		कम वसूल किया गया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	माह जिसमें दस्तावेज पंजीयन किया गया था
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
मसूदा	1	आवासीय	18.87	4.40	1.89	0.44	0.19	0.05	1.59	सितम्बी 1997
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1999) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि मामला कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवाया जा चुका है। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है। मामला सरकार को सूचित (दिसम्बर 1999) किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।										
टौंक	18	कृषि और अकृषि	70.22	31.00	6.88	3.11	0.69	0.30	4.16	जनवरी 1998 से दिसम्बर 1998
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (सितम्बर 1999) विभाग ने लेखापरीक्षा के मत से असहमति व्यक्त की। तथापि, विभाग ने जून 2000 में इन मामलों को कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवा दिया है जिसका निर्णय प्रतिक्षित है। मामला सरकार को जनवरी 2000 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।										
योग			380.47	125.49	33.97	12.12	3.80	1.44	24.21	

(ii) आगे, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने निर्देश जारी किये (फरवरी 1994 और मार्च 1997) कि जहां खरीदी गयी कृषि भूमि का क्षेत्र 1000 वर्ग गज से कम है या जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं और प्रत्येक खरीददार के हिस्से में 1000 वर्ग गज से कम क्षेत्र आता है, ऐसी भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक या ओद्योगिक जैसा भी मामला हो, को उसी प्रयोजनार्थ माना जावेगा और उसके मूल्य निर्धारण हेतु वही दरें लागू होंगी जो ऐसे प्रयोजनों हेतु निर्धारित की गयी हैं।

गढ़ी (बांसवाड़ा जिला) में, ऐसा देखा गया (मार्च 1999) कि आवासीय भू-खण्डों के 14 मामलों में जिनका क्षेत्र 1000 वर्ग गज से कम है, अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण आवासीय दर के अनुसार नहीं करके कृषि भूमि के अनुसार किया गया। उप पंजीयक उन मामलों को कलेक्टर (मुद्रांक) को सही कीमत आंकने को भेजने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क की कुल 4.57 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1999) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 1999) कि मामला कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवा दिया गया है आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2000) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

5.3 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टीकल 63 के अन्तर्गत पट्टे का समर्पण के जरिये हस्तान्तरण करने पर प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत लिया जावेगा।

(अ) नावा (नागौर जिला) में यह देखा गया (अक्टूबर 1999) कि ग्राम राजास एवं गोविन्दी में 49 बीघा, 12 बिस्वा माप की भूमि का हस्तान्तरण दो पट्टों पर, उद्योग विभाग द्वारा 23 मार्च 1998 एवं 1 मई 1998 को, निष्पादित किया गया उस पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क प्रत्येक के केवल 200-200 रुपये वसूल किये गये जबकि भूमि की कीमत के अनुसार 1.98 लाख रुपये मुद्रांक कर एवं 19,820 रुपये पंजीयन शुल्क के वसूल किये जाने थे। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर 1.98 लाख रुपये एवं पंजीयन शुल्क 0.20 लाख रुपये कुल 2.18 लाख रुपये कम वसूल हुए।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1999) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि ये मामले पट्टों के हस्तान्तरण से सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि ये प्रारंभिक पट्टे हैं विभाग का यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये पट्टे अन्य पट्टाधारियों को बाकी बचे समय के लिए जारी किये गये हैं आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

सरकार को मामला (फरवरी 2000) सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

(ब) जयपुर-II में, यह देखा गया (अक्टूबर 1999) कि ओद्यौगिक क्षेत्र झोटवाड़ा में एक एकड़ माप के एक भूखण्ड का हस्तान्तरण एक फर्म में नये भागीदारों की प्रविष्टि के आधार पर किया गया, जिस पर मुद्रांक कर 1.62 लाख रुपये एवं पंजीयन शुल्क 16,187 रुपये के बजाय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 100 रुपये प्रत्येक के वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर 1.62 लाख रुपये और पंजीयन शुल्क 0.16 लाख रुपये, कुल 1.78 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1999) विभाग ने बताया (सितम्बर 2000) कि मामला कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवाया जा चुका है। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

मामला सरकार को सूचित किया गया (दिसमबर 1999) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

5.4 सशर्त हस्तान्तरण विलेख पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली के कारण राजस्व हानि

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 5 के अन्तर्गत कोई विलेख जो अनेक अलग अलग मामलों से सम्बन्धित हो अथवा समाहित करना हो, के पंजीयन पर वसूली योग्य मुद्रांक कर ऐसे प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग विलेखों पर प्रभार्य मुद्रांक कर का कुल योग होगा।

बहरोड़ (अलवर जिला) में, यह देखा गया (जनवरी 2000) कि तीन फर्मों ने अपनी बहरोड़ स्थित औद्योगिक इकाइयों के भूमि एवं भवन को राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) को उनसे लिये गये ऋण 37.20 लाख रुपये के बदले रहन रखा। फर्मों ने अपनी इकाईयों को दूसरी फर्मों को बेच दिया और इसके लिए फर्मों और आर.एफ.सी. के मध्य अनुबंध किये गये (फरवरी 1998 में पंजीकृत) जिनमें रहन शुदा भूमि और भवनों का विक्रय (विक्रय मूल्य 17.10 लाख रुपये) तथा 4.28 लाख रुपये आर.एफ.सी. की बकाया राशि का भुगतान एवं शेष राशि 12.83 लाख रुपयों का भुगतान आगामी 5½ वर्षों में किया जाना सम्मिलित था। यह विलेख सही रूप में दो अलग अलग मामलों में वर्गीकरणीय थे (i) विक्रय अनुबंध (ii) साधारण रहननामा। मुद्रांक कर 1.84 लाख रुपये पंजीयन शुल्क 0.30 लाख रुपये वसूली योग्य थे। इसके बजाय विभाग ने 300 रुपये मुद्रांक कर एवं 17,100 रुपये पंजीयन शुल्क वसूल किया। इस प्रकार विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण कुल 1.96 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (फरवरी 2000) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि मामले कलेक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भिजवाये जा चुके हैं आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

मामला सरकार को मार्च 2000 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

अध्याय-6: राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच में 293 मामलों में 1017.01 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली/अवसूली	108	522.52
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	27	49.71
3.	अन्य अनियमितताएं	158	444.78
	योग	293	1017.01

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 141 मामलों में अन्तर्निहित 866.67 लाख रुपये की कम वसूली इत्यादि स्वीकार की जिनमें से 257.64 लाख रुपयों के 91 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 298 मामलों में 385.36 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 15.10 लाख रुपयों के 30 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्षों में बताये गये थे। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 366.78 लाख रुपये सन्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

6.2 राजकीय राजस्व आस्थगित किये जाने के कारण अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत आबकारी शुल्क को आस्थगित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा देय आबकारी अधिभार 2.34 करोड़ रुपये को सरकार ने अपने पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1999 के द्वारा 31 मार्च, 2001 तक आस्थगित कर दिया। अधिनियम में

प्रावधान न होने के कारण सरकार द्वारा किया गया आस्थगन गलत है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अप्रैल 1999 से जून 2000 तक की अवधि में 2.34 करोड़ रुपये के आबकारी अधिभार की अवसूली हुई।

मामला विभाग के ध्यान में तथा सरकार को सूचित (सितम्बर 2000) किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

6.3 अनुज्ञा शुल्क एवं बोतल भराई शुल्क की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अधीन सरकार द्वारा 9 जुलाई 1998 को अधिसूचना द्वारा संशोधन किया कि विशेषाधिकार (फ्रेंचाइज) व्यवस्था के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.)/बीयर के निर्माण/बोतल भरने की अनुमति देने हेतु अनुज्ञापत्र के लिए आसवनी (भा.नि.वि.म. बोतल भराई सहित) अनुज्ञापत्र की निर्धारित फीस 4 लाख रुपये की 50 प्रतिशत राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की बोतल भराई शुल्क "स्वयं के ब्रान्ड" हेतु निर्धारित 0.75 रुपये प्रति बोतल है जबकि फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत दुगनी दर से वसूली योग्य है।

(अ) अलवर तथा उदयपुर में यह देखने में आया (जुलाई तथा अक्टूबर 1999) कि चार* इकाइयों ने जिनके पास भा.नि.वि.म./बीयर की बोतलें भरने के अनुज्ञापत्र थे फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरी यूनिटों की भा.नि.वि.म./बीयर की विभिन्न प्रकार की बोतलें 9 जुलाई 1998 से 31 मार्च 1999 तक 1,70,50,521 बोतलें भरने पर स्वयं के ब्रान्ड के लिये निर्धारित दरों से बोतल भराई शुल्क वसूल किया गया जबकि फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित दरों से वसूल करना चाहिये था जिसके फलस्वरूप कुल 127.68 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई तथा दिसम्बर 1999), विभाग ने बतलाया (मई तथा सितम्बर 2000 के मध्य) कि अलवर के एक मामले में 18.88 लाख रुपये ब्याज सहित वसूल किए जा चुके हैं जबकि दूसरे मामले में अनुज्ञाधारी ने सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर दी। उदयपुर के मामले में 79.49 लाख रुपये वसूल कर लिये गये। अलवर के मामले में आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

* (i) मैसर्स राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड, शाहजहाँपुर (अलवर) (ii) मैसर्स विन्सन ब्रेवरीज लिमिटेड, तिजारा, (अलवर) (iii) मैसर्स अलाइड डोमेक स्प्रिट एवं वाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़ (अलवर) एवं (iv) मैसर्स उदयपुर डिस्टलरी कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर।

सरकार जिसे मामला सूचित किया गया था (नवम्बर 1999 तथा फरवरी 2000) ने अलवर से सम्बन्धित मामलों में विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2000)।

(ब) अलवर तथा उदयपुर में यह देखने में आया (जुलाई तथा अक्टूबर 1999) कि दो आसवन शालाओं (i) मैसर्स अलाइड डोमेक स्प्रिट एण्ड वाइन (इ) प्राइवेट लि., बहरोड़, अलवर तथा (ii) मैसर्स उदयपुर डिस्टलरी कम्पनी लि., जिनको भा.नि.वि.म. के निर्माण तथा बोतल भराई के साथ दूसरी कम्पनियों की बोतल भराई का लाइसेंस फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत था जिनसे 4 लाख रुपये अनुज्ञा शुल्क वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई तथा दिसम्बर 1999), विभाग ने बतलाया (अगस्त 2000) कि उदयपुर के मामले में 2 लाख रुपये की वसूली अनुज्ञाधारी से की जा चुकी है। अलवर के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार को मामला सूचित किया गया (नवम्बर 1999 तथा फरवरी 2000) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2000)।

6.4 अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

सरकार ने (9 जुलाई 1998) अनुज्ञाधारी से होटल बार/क्लब बार/रेस्टोरेंट बीयर बार से अनुज्ञा शुल्क वसूली हेतु वार्षिक अनुज्ञा शुल्क 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तथा न्यूनतम बिक्री शुल्क 15,000 रु. से 25,000 रुपये संशोधित कर दी।

बाड़मेर में यह ध्यान में आया (दिसम्बर 1999) कि होटल ढोला मारु, जैसलमेर को वर्ष 1998-99 के लिये होटल बार का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया था अनुज्ञाधारी द्वारा क्रमशः वार्षिक अनुज्ञा शुल्क 3 लाख रुपये के स्थान पर 2 लाख रुपये तथा न्यूनतम बिक्री शुल्क 25000 रु. के स्थान पर 15,000 रुपये जमा कराये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 1.10 लाख रुपयें की कम वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (जनवरी 2000) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2000) कि 1.10 लाख रुपये की माँग कायम करने पर अनुज्ञाधारी ने उच्च न्यायालय से वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे (अगस्त 2000)। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2000)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2000), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

अध्याय-7: अन्य कर प्राप्तियां

भूमि एवं भवन कर

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

भूमि एवं भवन कर कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 1999-2000 के दौरान की गई नमूना जांच से 85 मामलों में 10180.94 लाख रुपयों के अवनिर्धारणों का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण कम आरोपण	44	8936.81
2.	गलत निर्धारणों के कारण कम आरोपण	25	47.70
3.	अन्य अनियमितताएं	16	1196.43
	योग	85	10180.94

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 30 मामलों में 34.28 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जो कि लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे, इनमें से 18 मामलों में 10.49 लाख रुपये वसूल किये गये। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां उजागर करने वाले 282.90 लाख रुपये के कुछ निदर्शी मामले आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

7.2 पट्टा इकरारनामे का पंजीयन नहीं कराने के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलित) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जब पट्टा 20 वर्ष की अवधि से अधिक के लिये किये जाने पर मुद्रांक कर जैसा कि हस्तान्तरण अभिलेख पर लगता है, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समान प्रतिफल पर आरोपणीय होता है आगे, निदेशक, भूमि एवं भवन कर ने निर्देश जारी किये (जुलाई 1997)

कि यदि दस्तावेज अपंजीकृत हो तो कराधान प्राधिकारी, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को सूचित करना चाहिये।

जोधुपर में यह देखा गया (अप्रैल-मई 1999) कि मैसर्स इण्डियन होट्ल्स कम्पनी लिमिटेड ने 23,850 वर्ग मीटर का एक भू-खण्ड होटल चलाने के लिये 50 वर्ष की लीज (3 अप्रैल 1994) पर लिया था, भूमि एवं भवन कर का निर्धारण कराने के लिये अपंजीकृत पट्टा इकरारनामे को जिसका निष्पादन 10 रुपये के मुद्रांक पत्र पर किया गया था निर्धारण प्राधिकार को प्रस्तुत किया (जनवरी 1999)। इस अपंजीकृत पट्टा करार के सम्बन्ध में, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को सूचित करने में विभाग असफल रहा जिसके कारण भूमि एवं भवन कार्यालय द्वारा निर्धारित सम्पत्ति के मूल्य 2404.08 लाख रुपये पर मुद्रांक कर की राशि रुपये 240.41 लाख एवं पंजीयन शुल्क 25,000 रुपये आरोपित नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1999), सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर, जोधुपर ने सूचित किया (मई 1999) कि इस सम्बन्ध में उप पंजीयक, जोधपुर को उनके स्तर पर आगे कार्यवाही करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

त्रुटी विभाग को बताई गई (मई 1999) एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (सितम्बर 2000)।

7.3 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भूमि या भवन अथवा दोनो के बाजार मूल्य पर कर आरोपणीय हैं विभाग ने शहरों के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण करने हेतु वर्ष 1973 में भूमि की दरें निर्धारित की हैं किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए भूमि के बाजार मूल्य की गणना करने के लिए इसमें भूमि एवं भवन के प्रयोजनार्थ उपयोग के अनुसार 10 प्रतिशत (आवास के लिय) या 20 प्रतिशत (वाणिज्य के लिये) वार्षिक वृद्धि प्रत्येक पश्चातवृती वर्ष के लिए जोडी जायेगी। 1 अप्रैल 1996 को आरोपणीय भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल 1997 में जब पुन: बाजार मूल्य के आधार पर कर निर्धारण किये जाने पर वर्ष 1996-97 के लिये आरोपित कर के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होना चाहिये।

जयपुर एवं उदयपुर में यह देखा गया (दिसम्बर 1998 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य) कि 6 मामलों में सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण राशि रुपये 35.51 लाख का कर कम आरोपित किया गया, नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निर्धारण की दिनांक	कर की अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	अनियमितता की प्रकृति
1.	जयपुर (सिविल लाईन ज़ोन)	फरवरी 1998	1993-94 से 1996-97	14.61	रीको द्वारा निर्धारित भूमि के बाज़ार मूल्य की दर के स्थान पर रियायति दर पर भूमि के आवंटन की दर पर कर निर्धारण करने के परिणामस्वरूप 14.61 लाख रुपये एक बारीय कर सहित कर का कम आरोपण हुआ।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
2.	उदयपुर	मार्च 1999	1994-95 से 1996-97	11.69	होटल निर्माण के लिये 2760 वर्ग फीट भूमि पट्टे पर ली (मई 1983) गई के विरुद्ध केवल 1520 वर्ग फीट भूमि को कर निर्धारण में शामिल की गई। परिणामस्वरूप 11.69 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग को बताई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
3.	उदयपुर	फरवरी 1999	1996-97 से 1998-99	4.53	संलग्न भूमि एवं भवन में की गई वृद्धि के मूल्य का कर निर्धारण करने के लिये शामिल नहीं किया गया जिसके कारणा 4.53 लाख रुपये का कर कम निर्धारण हुआ।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
4.	उदयपुर	मार्च 1999	1992-93 से 1997-98	2.29	कर निर्धारित करते समय भूमि का मूल्य उप पंजीयक द्वारा निर्धारित भूमि की दर को ध्यान में नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप 2.29 लाख रुपये कर का कम निर्धारण हुआ।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
5.	जयपुर (हवा महल जोन)	सितम्बर 1998	1994-95 से 1998-99	1.26	भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जा रहा था, जबकि कर निर्धारण आवासीय दर से किया गया।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (नवम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
6.	उदयपुर	दिसम्बर 1998	1997-98 से 1998-99	1.13	गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप अवमूल्यन हुआ।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
योग				35.51	

7.4 गलत आधार वर्ष के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 और उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत, कर निर्धारण अधिकारी किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में जहां यह प्रतीत होता है कि भूमि या भवन निर्धारण से छूट गया है या त्रुटिपूर्ण या गलत रूप से निर्धारित हुआ है या ऐसी भूमि या भवन का उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित हो गया है, के बाजार मूल्य निर्धारण एवं कर निर्धारण आदेश में किसी भी समय संशोधन कर सकेगा।

जयपुर एवं श्रीगंगानगर में यह पाया गया (दिसम्बर 1998 एवं अक्टूबर 1999 के मध्य) कि तीन मामलों में गलत आधार वर्ष के कारण राशि रुपये 6.73 लाख कम वसूल हुये, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निर्धारण की दिनांक	कर की अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	अनियमितता की प्रकृति
1.	जयपुर (हवा महल ज़ोन)	मई 1999	1998-99 से 1999-2000	3.04	आवासीय भवन को विध्वंस कर 1997-98 में वाणिज्यिक कम्पलेक्स बनाया गया इसलिये वर्ष 1998-99 व उसके पश्चात सम्पत्ति पर वाणिज्यिक दर से कर की देयता थी।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (नवम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
2.	जयपुर (सिविल लाईन ज़ोन)	नवम्बर 1997	1995-96 से 1996-97	1.96	कर निर्धारण प्राधिकारी ने सम्पत्ति का मूल्यांकन आधार वर्ष अप्रैल 1995 के स्थान पर अप्रैल 1988 मान कर किया, जबकि दुकान के लिये भूमि अप्रैल 1994 में क्रय की गई जिस पर भवन का निर्माण 1996 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.96 लाख रुपये का कर कम आरोपण हुआ।
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाने पर (दिसम्बर 1998) विभाग ने बतलाया (दिसम्बर 1998) कि भूमि विक्रय इकरार के द्वारा 7 जनवरी 1988 में क्रय की गई थी, केवल पट्टा विलेख अप्रैल 1994 में सम्पादित किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि का स्वामित्व पट्टाधारक को अप्रैल 1994 में अन्तरित हुआ था।					
3.	जयपुर (सिविल लाईन ज़ोन)	जुलाई 1997	1996-97 से 1997-98	1.73	विद्यमान गायों के बाड़े की भूमि पर 1995 के दौरान आवासीय भवन का निर्माण किया गया। इसलिए 1996-97 व आगे से आवासीय दर से कर आरोपणीय था।
टिप्पणी:-त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2000)।					
योग				6.73	

अध्याय-8: कर-इतर प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1999-2000 के दौरान लेखापरीक्षा में खनन विभाग एवं सिंचाई विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से 933 मामलों में 14836.80 लाख रुपये के अवनिर्धारणों और राजस्व की हानियों का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
अ: खनन विभाग			
1.	स्थिर भाटक व अधिशुल्क की अवसूली/ कम वसूली	274	132.59
2.	अनाधिकृत खनन	88	2186.90
3.	प्रतिभूति जब्त न करना	190	12.01
4.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	71	46.39
5.	खान एवं खनिज से प्राप्ति	-	11490.40
6.	अन्य अनियमितताएं	308	495.37
ब: सिंचाई विभाग			
	जल प्रभार की कम वसूली	2	473.14
	योग	933	14836.80

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 421 मामलों में 40.81 लाख रुपये के अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किये, जिसमें से 5.98 लाख रुपये के 36 मामले वर्ष 1999-2000 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान बताये गये थे। विभाग ने 350 मामलों में 32.66 लाख रुपये की वसूली की, इसमें से 2.10 लाख रुपये के 6 मामले वर्ष 1999-2000 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बताये गये थे। कुछ निदर्शी मामले एवं "खान एवं खनिज से प्राप्तियों" पर समीक्षा के निष्कर्षों जिनमें 11963.54 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

अ. खनन विभाग

8.2 खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ

8.2.1 प्रस्तावना

खान एँव खनिज (विनियमन एंव विकास) अधिनियम, 1957 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टे स्वीकृत कराकर खनिज सम्पदा उपयोग में लाई जाती है।

खान एँव खनिज से प्राप्ति मुख्यतया आवेदन शुल्क, अनुज्ञा शुल्क, परमिट फीस, स्थिर भाटक, अधिशुल्क, पूर्वेक्षण शुल्क, जुर्माना एवं शास्ति के रूप में होती है। इन बकायाओं के भुगतान में चूक करने पर निर्धारित दर से ब्याज वसूलनीय है।

8.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक, खान एँव भू-विज्ञान विभाग का प्रमुख होता है तथा जिसकी सहायता के लिए 5 अतिरिक्त निदेशक जो कि 8 अधिशाषी खनि अभियन्ताओं तथा 39 खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा विभाग पर अनुशासित नियंत्रण करते है जो कि प्रधान रूप से अपने क्षेत्र के राजस्व निर्धारण एँव संग्रहण तथा खनिज सम्पदा के अनाधिकृत उत्खनन की रोकथाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के पास पृथक प्रतिबन्धक (बचाव) समूह (सतर्कता) भी है जिस पर अधिशाषी खनिज अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर द्वारा नियंत्रण किया जाता है। खान एँव खनिजों के विकास तथा अन्वेषण (खोजने) का कार्य भू-गर्भशास्त्र सर्वेक्षण विभाग द्वारा तीन अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर एवं 16 भूगर्भविज्ञानी जो कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं, के अधीन किया जाता है।

8.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1999-2000 में समीक्षा के दौरान 8 बड़ी इकाइयों* (कुल 51 इकाईयों में से) तथा निदेशक, खान एँव भू-विज्ञान विभाग के विर्ष 1994-95 से 1998-99 तक के अभिलेखों की जाँच खनिज विभाग में खनिज प्राप्तियों के निर्धारण एँव संग्रहण की पर्याप्तता एँव प्रभावकारिता के सन्दर्भ में की गई। मुख्य कमियाँ/अनियमितताऐं जो पाई गई वह आगामी अनुच्छेदों में दी गई हैं।

---

* खनिज अभियन्ता, मकराना, अजमेर, जोधुपर, उदयपुर, बुन्दी-प्रथम राजसमन्द-प्रथम एँव द्वितीय, अलवर तथा निदेशक खान एँव भू विज्ञान कार्यालय।

8.2.4 मुख्य मुख्य बिन्दु

मैसर्स जे.के. उदयपुर, उद्योग लिमिटेड से माँग कायम न करने के कारण 280.36 लाख रुपये के अधिशुल्क तथा उस पर 220.29 लाख रुपये ब्याज के वसूल नहीं किये गये।

{अनुच्छेद 8.2.6(अ)(i)}

निर्धारिणों को अन्तिम रूप देने के बाद माँग कायम न करने के कारण पट्टेधारियों से 64.47 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं की गई।

{अनुच्छेद 8.2.6(अ)(ii)}

मार्बल पर अधिशुल्क में अनाधिकृत छूट (सरकार द्वारा अनुमत अवधि के बाद) देने के परिणामस्वरूप 385.37 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 8.2.8)

पट्टेदारों से भूमि कर 3105.70 लाख रुपये तथा उस पर ब्याज 3998.58 लाख रुपये की राशि वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 8.2.9)

निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों से अधिशुल्क की 120.95 लाख रुपये की राशि वसूल नहीं की गई।

(अनुच्छेद 8.2.10)

मांग एवं संग्रहण पंजिका के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप 13.19 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

{अनुच्छेद 8.2.14(अ)}

8.2.5 राजस्व का रुझान

वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार खनिजों से राजस्व वसूल किया गया था:-

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर (+) आधिक्य (-) कमी	वास्तविक राजस्व का अनुमानित राजस्व से कमी/ आधिक्य का प्रतिशत	राज्य की कुल राजस्व राशि	राज्य सरकार के कुल राजस्व से वास्तविक खनिज प्राप्तियों का प्रतिशत
	(करोड़ रुपये में)					
1994-95	177.32	182.75	(+) 5.43	(+) 3.06	3224.57	5.66
1995-96	210.00	214.52	(+) 4.52	(+) 2.15	4039.31	5.31
1996-97	275.00	271.21	(-) 3.78	(-) 1.37	4484.88	6.04
1997-98	300.00	292.90	(-) 7.10	(-) 2.37	4973.00	5.88
1998-99	310.00	304.24	(-) 5.75	(-) 1.85	5292.73	5.74

8.2.6 माँग कायम नहीं करना

(अ) खान एँव भू-विज्ञान विभाग द्वारा बनायी गई हैण्डबुक के प्रावधानुसार समस्त राजकीय बकाया निर्धारण के अभिलेखों जिनमें पट्टा, अनुज्ञाशुल्क, ठेका, स्थिर भाटक, अधिशुल्क, ब्याज तथा शास्ति इत्यादि की उचित वसूली हेतु माँग एवं संग्रहण पंजिका संधारित की जानी चाहिये।

(i) मैसर्स जे.के.उदयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिशुल्क निर्धारण अप्रैल 1989 से मार्च 1996 तक की अवधि के लिए 922.95 लाख रुपये में किया गया था परन्तु पट्टेधारी द्वारा इसके पेटे 642.59 लाख रुपये जमा कराये गये। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि शेष राशि 280.36 लाख रुपये के अधिशुल्क के भुगतान हेतु विभाग द्वारा कोई माँग कायम नहीं की गई थी। इसके स्थान पर माँग एवं संग्रहण पंजिका में यह गलत इन्द्राज था कि भुगतान अग्रिम प्राप्त कर लिया हैं माँग एवं संग्रहण पंजिका में माँग कायम न करने तथा गलत तथ्य इन्द्राज करने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क के 280.36 लाख रुपये की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1999), विभाग ने 280.36 लाख रुपये अप्रैल 2000 में वसूल कर लिये। अधिशुल्क का भुगतान न

करने के कारण पट्टाधारी को 220.29 लाख रुपये ब्याज राशि भी भुगतान करनी थी। ब्याज की वसूली से सम्बन्धित कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

(ii) तीन खनिज कार्यालयों* के 26 मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि शेष अधिशुल्क 64.47 लाख रुपये सितम्बर 1997 से मार्च 1999 के मध्य निर्धारित किये गये थे परन्तु उनके विरूद्ध माँग कायम नहीं की गई क्योंकि उन्हें माँग एवं संग्रहण पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	सन्निहित अवधि	निर्धारित अधिशुल्क	भुगतान किया गया स्थिर भाटक	वसूली योग्य शेष अधिशुल्क
				(लाख रुपयों में)		
1.	सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी	6	फरवरी 1996 से अप्रैल 1998	14.27	3.59	10.68
2.	खनि अभियंता, बीकानेर	1	14 सितम्बर 1994 से 13 सितम्बर 1996	19.67	-	19.67
		10	जून 1995 से फरवरी 1999	5.86	2.76	3.10
3.	सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा	9	अगस्त 1995 से नवम्बर 1998	37.64	6.62	31.02
	योग	26		77.44	12.97	64.47

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (जून से अगस्त 1999) सहायक खनि अभियन्ता, बाँसवाड़ा ने 9 मामलों में 30.48 लाख रुपये वसूल कर लिये (अप्रैल 2000) यद्यपि अन्य कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2000)।

(ब) खान एँव खनिज (विनियमन एंव विकास) अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम जमा कराना होगा।

यह पाया गया (मई 1999 तथा मार्च 2000 के मध्य) कि 1993-94 से 1998-99 की अवधि के लिये 8 मामलों में 9.26 लाख रुपये की स्थिर भाटक की माँग कायम नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 1999 और फरवरी 2000 के मध्य) विभाग ने बताया (अक्टूबर 1999 तथा अप्रैल 2000 के मध्य) कि स्थिर भाटक के सभी मामलों में माँग कायम की जा चुकी है तथा खनि अभियन्ता

* खनिज अभियन्ता बीकानेर, सहायक खनिज अभियन्ता, सोजत सिटी तथा बाँसवाड़ा।

अजमेर द्वारा 0.81 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं (फरवरी 2000)। अन्य दो कार्यालयों से वसूली से सम्बन्धित प्रगति अभी भी अपेक्षित है (सितम्बर 2000)।

8.2.7 स्थिर भाटक की कम वसूली

(i) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 तथा 9 अ सपठित खनिज रियायती नियम, 1960 के अन्तर्गत वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम रूप में जमा कराने का प्रावधान है जिसकी दर 11 अप्रैल 1997 को संशोधित की गई थी।

यह पाया गया (जून तथा जुलाई 1999) कि 9 मामलों (बीकानेर के 5 तथा बाँसवाड़ा के 4) में स्थिर भाटक की माँग 11 अप्रैल 1997 को संशोधित दर के बजाय पुरानी दर से कायम की गई जिसके परिणामस्वरूप 10.28 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर (जून तथा अगस्त 1999) सहायक खनि अभियन्ता, बाँसवाड़ा ने बताया (अप्रैल 2000) कि सभी मामलों में स्थिर भाटक की माँग कायम की जा चुकी है तथा एक मामले में 0.38 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं। खनि अभियन्ता, बीकानेर का उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2000)।

(ii) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986, के अन्तर्गत खनिज पट्टे के सम्बन्ध में वार्षिक स्थिर भाटक की राशि पट्टा शुरू होने की तिथि से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद तथा पट्टा नवीनीकरण के समय संशोधित की जावेगी। स्थिर भाटक का संशोधन पुराने स्थिर भाटक की राशि में 40 प्रतिशत जोड़कर किया जायेगा।

2 कार्यालयों के 14 मामलों में (खनि अभियन्ता मकराना के 2 तथा सहायक खनि अभियन्ता बाँसवाड़ा के 12) स्थिर भाटक की माँग पूर्व-संशोधित दर पर कायम तथा वसूल की जाती रही जिसके परिणामस्वरूप 3.08 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर मकराना (सितम्बर 1999) तथा बाँसवाड़ा (जून 1999), सहायक खनि अभियन्ता बाँसवाड़ा ने बताया (अप्रैल 2000) कि 10 मामलों में 1.61 लाख रुपये के स्थिर भाटक की माँग कायम की जा चुकी थी जिनमें से 6 मामलों में 0.52 लाख रुपये वसूल कर लिये गये थे। खनि अभियंता मकराना से उत्तर अभी भी अपेक्षित है (सितम्बर 2000)।

8.2.8 मार्बल पर अनाधिकृत छूट दिये जाने के कारण राजस्व की हानि

राज्य सरकार ने 15 जुलाई 1994 से 3 माह की अवधि के लिये मकराना के बाहर से संगमरमर प्रेषण कर लाने तथा उसकी प्रक्रिया पर कुल मात्रा के 50

प्रतिशत अधिशुल्क की छूट की अनुमति प्रदान की (जुलाई 1994)। उसके बाद कोई छूट की अनुमति नहीं थी।

यह जानकारी में आया (मार्च 2000) कि अधिशुल्क में यह छूट तीन माह की समाप्ति अर्थात 15 अक्टूबर, 1994 के बाद, लेखापरीक्षा दिनांक तक दी जा रही थी। विभाग ने 380694 मैट्रिक टन संगमरमर पर अधिशुल्क में छूट की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप समय समय पर लागू दर से 385.37 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अगस्त 1999) सरकार ने मामले में जाँच शुरू की (मार्च 2000) आगे की प्रगति अभी भी अपेक्षित है (सितम्बर 2000)।

8.2.9 भूमि कर की अवसूली

खान एँव खनिज (विनियमन एँव विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 25 के अन्तर्गत सरकार खनिज पट्टों के अन्तर्गत कोई भी बकाया राशि खनिज पट्टों की अनपेक्षित दिनाँक से भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल कर सकती है।

निदेशक, खान एँव भू-विज्ञान कार्यालय में यह पाया गया (सितम्बर 1995 तथा सितम्बर 1999) कि 1985 से 29 अगस्त 1991 की अवधि में भूमि कर की 3105.70 लाख रुपये की राशि तथा उस पर 3998.58 लाख रुपये ब्याज (15 प्रतिशत की दर से) 31 मार्च 2000 तक विभिन्न पट्टेधारियों से वसूली योग्य थी। तथापि इस राशि की वसूली हेतु माँग कायम नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (सितम्बर 1995 तथा नवम्बर 1999) विभाग ने बताया (सितम्बर 1996) कि (i) उन पट्टेधारियों से जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है (ii) जैसा कि भूमि कर (30 अगस्त 1991 से) समाप्त किया जा चुका है अत: भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार वसूली किया जाना बहुत कठिन है तथा (iii) उन पट्टेधारियों से भी वसूली किया जाना कठिन है जिनसे पी.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जानी हैं भूमि कर की वसूली की अद्यतन स्थिति की जानकारी विभाग से मांगी गई थी (नवम्बर 1999) जिसने कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया (सितम्बर 2000)।

8.2.10 ठेकेदारों से अधिशुल्क की कम वसूली

राज्य सरकार के दिनांक 22 सितम्बर 1994 तथा 27 नवम्बर 1996 के आदेशानुसार अधिशुल्क निर्माण ठेकेदारों के बिलों से ठेका राशि के 2 प्रतिशत की दर से कटौती योग्य हैं ये आदेश उन मामलों पर भी लागू थे, जिनमें खनिज विभाग द्वारा अधिशुल्क का अन्तिम निर्धारण नहीं किया गया हो। यह भी निर्णय किया था कि जहाँ ये राशि ठेकेदार द्वारा देय अधिशुल्क राशि से ज्यादा वसूल कर ली गई है

तो वहाँ अन्तिम निर्धारण के समय ऐसी ज्यादा वसूली गई राशि ठेकेदार को वापिस करनी होगी।

5 कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पया गया (1996-97 और 1999-2000 के मध्य) कि 44 मामलों में अधिशुल्क की 120.95 लाख रुपये की राशि या तो वसूल नहीं की गई या कम वसूली की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	ठेकेदार को भुगतान की गई राशि	वसूली योग्य अधिशुल्क	वसूल किया गया अधिशुल्क	वसूल नहीं/ कम किया गया अधिशुल्क
			(लाख रुपयों में)			
1.	खनि अभियन्ता, जयपुर (आर.बी.सी.सी)	1996-97 से 1999-2000	2079.71	41.59	-	41.59
2.	खनि अभियन्ता, अलवर	1994 से 1998	7426.00	131.36	65.68	65.68
3.	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर	1996-97 1998-99	173.17 157.90	3.46 3.16	- -	3.46 3.16
4.	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	1998-99	288.53	5.77	0.06	5.71
5.	खनि अभियन्ता, उदयपुर	1998-99	67.49	1.35	-	1.35
	योग		10192.81	186.69	65.74	120.95

8.2.11 विकास प्रभार की अवसूली/कम वसूली

सरकार ने जिप्सम के प्रेषण/बिक्री पर विकास प्रभार की दर 24 रुपये से 30 रुपये प्रति मैट्रिक टन संशोधित की (1 मई 1992)।

खनि अभियन्ता, बीकानेर तथा नागौर के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह उदघाटित हुआ (अगस्त 1999) कि 2 मामलों (बीकानेर-1 तथा नागौर-1) में 4,34,411 मैट्रिक टन जिप्सम पर विकास प्रभार पूर्व संशोधित दर से वसूल किया गया था तथा एक मामले (बीकानेर) में 1860 मैट्रिक टन जिप्सम पर विकास प्रभार वसूल ही नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि में 28.79 लाख रुपये के राजकीय राजस्व की अवसूली/कम वसूली हुई।

8.2.12 खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन/हटाने से राजस्व की हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अनुसार खनिजों का निस्तारण सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लघंन करने पर दण्ड का भागी होगा। अनाधिकृत खनन में प्रयुक्त यंत्र/मशीन इत्यादि जब्त योग्य होगें तथा यदि उसका निस्तारण/हटाया जा चुका है तो ऐसे मामलों में उनकी कीमत वसूल की जायेगी।

बिजौलिया में यह पाया गया (दिसम्बर 1997 कि यद्यपि विभागीय अधिकारियों को 7 मामलों में 24.35 लाख रुपये मूल्य के 9712 मैट्रिक टन सैंड स्टोन के अनाधिकृत उत्खनन तथा उनको हटाने की जानकारी हुई तथा दोषी व्यक्तियों के यंत्रों को ही केवल जब्त किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर तैयार की गई मौका रिपोर्ट/पंचनामें में दोषी व्यक्तियों का नाम नहीं लिखा गया जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में सभी प्रकरणों में वाद दायर नहीं किये जा सके तथा विभागीय कार्यवाही के कारणा 24.35 लाख रुपयें के राजस्व की हानि हुई।

8.2.13 खदान अनुज्ञापत्रों का पंजीयन न होने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क की हानि

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1908, के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के अचल सम्पत्ति के पट्टों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा। सरकार द्वारा आगे स्पष्ट किया गया (24 नवम्बर 1993) कि पट्टों के सम्पादन, खदान अनुज्ञापत्रों (अनुज्ञप्तियों) तथा उनके नवीनीकरण पर मुद्रांक कर एँव पंजीयन शुल्क आरोपित किया जायेगा।

खनि अभियंता नागौर (अगस्त 1999) तथा जोधपुर (मार्च 2000) में यह पाया गया कि वर्ष 1998-99 के दौरान नागौर में (192) तथा जोधुपर में (6193) खदान अनुज्ञप्तियाँ जारी/नवीनीकृत की गई थी परन्तु इनमें से किसी भी अनुज्ञप्ति का पंजीयन जो कि, उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक था, नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप 2.20 करोड़ रुपये के खदान किराये पर 24.21 लाख रुपये (मुद्रांक कर 22.01 लाख रुपये तथा पंजीयन शुल्क 2.20 लाख रुपये) की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (अगस्त 1999 तथा मार्च 2000) विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

8.2.14 राशि का अधिक/दुगना जमा होने के कारण राजस्व की हानि

(अ) माँग एवं संग्रहण पंजिकाओं की जाँच के दौरान यह पाया गया (मई 1999 और मार्च 2000 के मध्य) कि माँग एंव संग्रहण पंजिका की प्रविष्टियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँची/सत्यापित नहीं की गई थी। खनि अभियंता, भीलवाड़ा,

चित्तौड़गढ़ तथा राजसमन्द-द्वितीय में माँग एवं संग्रहण पंजिका के संधारण में 4 मामलों में गलतियाँ पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप पट्टेधारियों के नाम 13.19 लाख रुपये अधिक जमा किये गये तदनुसार सरकारी राजस्व में नीचे दिये गये विवरणानुसार इतनी राशि की कम वसूली की गई:-

क्र. सं.	इकाई का नाम	सन्निहित अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	अनियमितता की प्रकृति
1.	भीलवाड़ा	मार्च 1997 से नवम्बर 1997	2.06	योग में गलती
2.	चित्तौड़गढ़	मार्च 1999	10.00	उपरोक्तानुसार
3.	भीलवाड़ा	नवम्बर 1997 और दिसम्बर 1998	0.68	चालान की दो बार प्रविष्टि
4.	राजसमन्द	अप्रैल 1997 से अप्रैल 1998	0.45	गलत प्रविष्टि
	योग		13.19	

(ब) जुलाई 1997 में जब 1994-95 वर्ष का अधिशुल्क निर्धारण पूर्ण किया जा रहा था सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली ने 9.79 लाख रुपये स्थिर भाटक जो कि पट्टेधारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया था, की बजाये 13.70 लाख रुपये गलती से समायोजित कर दिये परिणामस्वरूप 3.91 लाख रुपये अधिशुल्क अधिक जमा कर दिया गया तथा तदनुसार इतनी राशि का राजकीय राजस्व कम वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (भीलवाड़ा-मई 1999, राजसमन्द-जनवरी 2000 तथा चित्तौड़गढ़-मार्च 2000 में) विभाग द्वारा इसे स्वीकार कर गलती को सुधार लिया।

8.2.15 राजकीय बकाया राशि की अवसूली

(अ) खनिज का अनाधिकृत उत्खनन तथा प्रेषण

खान एँव खनिज (विनियमन एँव विकास) अधिनियम, 1957 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986, के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी विधि सम्मत प्राधिकार के कोई खनिज संक्रियायें नहीं करेगा। अनाधिकृत खनिज निकालने पर निकाले गये खनिज को विभाग द्वारा जब्त किया जायेगा और जहाँ ऐसा खनिज पहले से ही निस्तारित/हटा दिया गया हो तो उसका मूल्य वसूल किया जायेगा।

40 खान वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि अनाधिकृत उत्खनन से संबंधित 10372 अभियोग प्रकरण जिनमें 2813.12 लाख रुपये की राशि सन्निहित

थी दो से पन्द्रह वर्षों या उससे भी अधिक अवधि से विभाग के पास बकाया थे जिनमें से:

(i) 240.82 लाख रुपये के 4194 प्रकरण 10 या उससे अधिक वर्षों से बकाया थे।

(ii) 1767.10 लाख रुपये के 2788 प्रकरण 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम अवधि से बकाया थे।

(ब) अन्य प्रकरण

सरकार ने मेटन रॉक फास्फेट मैसर्स आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के माध्यम से क्रय सम्मिश्रण तथा विपणन प्रतिनिधि के रूप में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से खरीदने का निर्णय (मई 1978) किया तथा इसके बदले सरकार मैसर्स आर.एस.एम. एम. लिमिटेड को 67 रुपये प्रति टन की दर से उपभोक्ताओं को खनिज बेचने का पारिश्रमिक भुगतान करेगी। यह कार्य मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. के माध्यम से होना था तथा सरकार 57 रुपये प्रति टन मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. को तथा 10 रुपये प्रति टन मैसर्स आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को भुगतान करने हेतु सहमत (जून 1987) थी। सामग्री वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान आपूर्ति की गई तथा सरकार ने हैण्डलिंग प्रभार के 27.83 लाख रुपये मैसर्स आर.एम.एम.डी.सी. को भुगतान किये। सरकार ने मैसर्स आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को खनिज का मूल्य 416.57 लाख रुपये जमा कराने को कहा (फरवरी 1990) परन्तु मैसर्स आर.एस. एम.एम. लिमिटेड ने मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. को हैण्डलिंग प्रभार के 27.83 लाख रुपये भुगतान करने के लिये रख कर केवल 388.74 लाख रुपये का भुगतान किया जबकि सरकार ने उनको पहले ही भुगतान कर दिया था। इस प्रकार 27.83 लाख रुपये के साथ अप्रैल 1990 से अक्टूबर 1999 की अवधि के लिये ब्याज की राशि 61.66 लाख रुपये मैसर्स आर.एस.एम.एम. लिमिटेड से वसूली योग्य है।

8.2.16 अधिशुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप देने हेतु समय सीमा निर्धारित न होने के कारण ब्याज की हानि।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986, के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी प्राप्त होने के पश्चात अथवा खनिज व्यवसायी के स्टॉक की जाँच पर निर्धारण अधिकारी निर्धारण वर्ष का अधिशुल्क निर्धारण पूर्ण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

यह पाया गया (नवम्बर 1999) कि निर्धारणों को पूर्ण करने की कोई निर्धारित अवधि के अभाव के कारण 31 मार्च 1999 को 26 कार्यालयों में 9512 मामले निर्धारण हेतु बकाया थे। जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक अधिशुल्क की वसूली राशि एवं उस पर ब्याज यदि कोई हो, पता नहीं चलता।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिये गये हैं:-

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	अवधि जबसे निर्धारण बकाया है	कुल बकाया निर्धारण	31.3.1999 तक विलम्ब अवधि
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	1964-65	35 निर्धारण	35 वर्ष
2.	मैसर्स आर.एस.एम. एम.लिमिटेड	1988-89 से 1996-97	9 निर्धारण (मार्च 1999 में निर्धारित)	11 वर्ष
		1997-98 से 1998-99	2 निर्धारण	3 वर्ष
3.	मैसर्स श्री सीमेण्ट लिमिटेड	1991-92 से 1993-94	3 निर्धारण (मार्च 1995 में निर्धारित)	3 वर्ष
		1994-95 से 1998-99	5 निर्धारण (मई 2000 में निर्धारित)	5 वर्ष

मैसर्स श्री सीमेण्ट लिमिटेड से सम्बन्धित वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि के 5 निर्धारण के मामलों में निर्धारण पूर्ण करने में विलम्ब (निर्धारण देय होने के उपरान्त 6 माह की अवधि तक) के कारण 2.95 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई। शेष मामलों में विभाग द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे ब्याज की गणना नहीं की जा सकी।

ब. सिंचाई विभाग

8.3 जल प्रभार की कम वसूली

राजस्थान कृषि तथा निकास नियम, 1955 में राजस्थान सरकार के संशोधन (28 नवम्बर 1991) के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य हेतु तुरन्त प्रभाव से जल प्रभार 20 रुपये प्रति हजार क्युबिक फीट की दर से आरोपित किया जाना था।

(अ) भीलवाड़ा में यह पाया गया (जुलाई 1999) कि कृषि विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान एक कम्पनी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आपूर्ति किये गये 213 मैट्रिक क्युबिक फीट पानी के लिए 33.85 लाख रुपये के बजाये 21.30 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। भुगतान न की गई शेष राशि पर 17.34 लाख रुपये ब्याज राशि देय हुई। जिसके परिणामस्वरूप 29.89 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (जुलाई 1999) विभाग ने बताया (जुलाई 1999) कि बकाया राशि सितम्बर 1991 में अग्रिम प्राप्त कर ली गई थी जबकि संशोधित दर 28 नवम्बर 1991 से प्रभावी हुई थी, जो उस पर लागू नहीं थी। विभाग का

मत सही नहीं है क्योंकि संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की गई थीं अत: संशोधित दर से जल प्रभार आनुपातिक रूप से वसूली योग्य था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (सितम्बर 1999) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

(ब) सूरतगढ़ में यह पाया गया (अप्रैल 1999) कि इन्दिरा गाँधी मुख्य नहर से हैड रेगुलेटर तथा सायफॉन पाईप आउटलेट के माध्यम से जनवरी 1994 से थर्मल पावर प्लॉट को पानी की आपूर्ति 20 रुपये प्रति हजार क्युबिक फीट की संशोधित दर के स्थान पर एक रुपये प्रति हजार क्युबिक फीट की दर से की गई। लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 1994 से जनवरी 2000 तक 22,16,254 हजार क्यूबिक फीट पानी के लिए 443.25 लाख रुपये की माँग कायम कर दी तथा जनवरी से मार्च 2000 के मध्य 100 लाख रुपये वसूल कर लिये।

मामला सरकार को सूचित किया गया (सितम्बर 1999) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

(सुनील चन्द्र)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II, राजस्थान

जयपुर
दिनांक

2 MAR 2001

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक